



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यानिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 04

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 के समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 04

अनुक्रमणिका

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		vii
अध्याय—1: सामान्य		
परिचय	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.3	6
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.4	7
लेखापरीक्षा में उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण	1.5	10
लेखापरीक्षा परिणाम	1.6	14
इस प्रतिवेदन का क्षेत्र	1.7	14
अध्याय—2: खनिज प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	2.1	15
आंतरिक नियंत्रण	2.2	16
लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	17
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	2.4	18
मिडलिंग एवं रिजेक्ट के बीजक मूल्य पर रायल्टी का अनारोपण	2.5	19
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	2.6	21
अनिवार्य भाटक की अवसूली/कम वसूली	2.7	22
खनन पट्टे के अधीन भूमि पर भू-राजस्व का अनारोपण	2.8	22
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) में योगदान की राशि की कम वसूली	2.9	23
अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली/कम वसूली	2.10	23
अध्याय—3: वाणिज्यिक कर		
कर प्रशासन	3.1	25
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	26
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	3.3	26
'मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया' पर लेखापरीक्षा	3.4	27
मालों का गलत वर्गीकरण	3.5	34
कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.6	35
अध्याय—4: अन्य कर प्राप्तियाँ		
अनुभाग क: वाहन कर		
कर प्रशासन	4.1	37

आंतरिक लेखापरीक्षा	4.2	37
लेखापरीक्षा परिणाम	4.3	38
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	4.4	38
वाहन स्वामियों से मोटर यान कर की अप्राप्ति	4.5	39
अनुभाग ख: राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	4.6	40
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.7	41
लेखापरीक्षा परिणाम	4.8	41
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	4.9	42
बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा राशि का बकाया राशि से अनियमित समायोजन	4.10	42
अध्याय—5: वानिकी तथा वन्य प्राणी		
कर प्रशासन	5.1	45
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	45
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	5.3	46
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन	5.4	46
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण पर अधिक एवं परिहार्य व्यय	5.5	47
भंडार क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना	5.6	48
परिशिष्ट		51
शब्दकोष		53

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2017 का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के मुख्य राजस्व प्राप्ति विभागों के प्राप्तियों एवं व्यय के लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण परिणाम को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका, शामिल हैं। अवधि 2016–17 के बाद के प्रकरणों को जहां आवश्यक हो, सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 292.26 करोड़ है, जिसमें से ₹ 284.67 करोड़ अवनिर्धारण, अवरोपण / अनारोपण, राजस्व की हानि आदि प्रेक्षणों से संबंधित है, जो कि वर्ष 2016–17 के राज्य के कुल कर एवं कर-मिन्न राजस्व का 1.16 प्रतिशत था एवं ₹ 7.59 करोड़ अनियमित एवं परिहार्य व्यय से संबंधित था। विभागों द्वारा ₹ 48.75 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए ₹ 4.84 करोड़ की वसूली की गयी।

राशि ₹ 238.30 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें खनिज साधन विभाग के खनि पट्टों के अधीन भूमि पर भू-राजस्व का अनारोपण (₹ 177.60 करोड़) एवं अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली / कम वसूली (₹ 42.30 करोड़) सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रेक्षण सम्मिलित हैं:

1. लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खनिज साधन विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान अधिक था।

प्रमुख सचिव, वित्त एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 के धारा 18(1)(ख) एवं लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के विनियम 181 में विनिर्दिष्ट अधिदेश का पालन करने में असमर्थ रहा।

2. वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बकाया राजस्व का डाटाबेस का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण इन विभागों द्वारा विभिन्न चरणों पर लंबित बकाया राशि की वसूली का विवरण प्रदाय नहीं किया जा सका। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदाय वर्ष 2016–17 के बकाया राजस्व के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि बकाया के प्रारंभिक शेष के आंकड़े पिछले वर्ष 2015–16 के अंत शेष से मिलान नहीं हो रहे थे। खनिज साधन विभाग उन्हीं प्रकरणों को बकाया मानती है जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं एवं विभाग के पास

वास्तविक बकाया राजस्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। विभागीय आंकड़े वास्तविक नहीं हैं। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 की स्थिति में सात विभागों से बकाया राशि ₹ 2,698.93 करोड़ अप्राप्त रहे, जिसमें से राशि ₹ 975.84 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अप्राप्त है।

3. राजस्व अर्जित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित सम्भावी राजस्व ₹ 6,868.16 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को संबोधित करने में विफल रहा।
4. पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को 98 प्रकरणों के नस्तियां/अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो कि विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं गबन के सम्भाव्य कूटसंघि जैसे खतरों का सूचक है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों की सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी।
5. लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, स्टाम्प तथा पंजीकरण, भू–राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 85 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। इसके अलावा खनिज साधन विभाग के आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा माह अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा करों एवं शुल्कों का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 38,881 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 2,913.82 करोड़ की अनियमितताये देखी गयी। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 13,669 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 178.95 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,194 प्रकरणों में राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गयी।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना

6. यद्यपि खनिज साधन विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं एवं निर्देशों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006–07 के 93वां प्रतिवेदन वर्ष 2011–12) के परिपालन में खदानों के निष्क्रिय होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये, पर विभाग ने खदान निष्क्रिय न हो, यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया।
7. लोक लेखा समिति द्वारा संदेहास्पद फार्म 'एफ' के माध्यम से कर के अनारोपण में त्वरित कार्यवाही करने एवं कर वसूल किये जाने के निर्देशों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 पर 22वां प्रतिवेदन वर्ष 2014–15) का पालन करने में वाणिज्यिक कर विभाग विफल रहा। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 पर 81वां प्रतिवेदन, 2010–11) पर आवृत्त के गलत निर्धारण के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पालन किया गया परन्तु समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।
8. लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं (46वां प्रतिवेदन 2009–10, 56वां प्रतिवेदन 2009–10 एवं 96वां प्रतिवेदन 2011–12) के बकाया कर की वसूली जल्द करने एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के अनुपालन में परिवहन विभाग द्वारा कुल कर एवं शास्ति ₹ 5.48 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.08 करोड़ की वसूली कर ली गई एवं लोक लेखा समिति द्वारा 46वां एवं 56वां प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के पालन में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

प्रारंभ कर दी गयी है। इसके बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये समान प्रेक्षण, यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को दोहराने के लिए रोकथाम हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है।

- वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग अनाज से शीरा तैयार करने के मानक बनाने हेतु लोक लेखा समिति की अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 का 8वां प्रतिवेदन, 2014–15) का पालन करने में विफल रहा।

खनिज प्राप्तियाँ

- खनिज साधन विभाग में मिडलिंग एवं रिजेक्ट के विक्रय पर रायलटी का अनारोपण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण, अनिवार्य भाटक की अवसूली / कम वसूली, खनन क्षेत्रों के अधीन भूमि पर भू-राजस्व का अनारोपण, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) में योगदान की राशि की कम वसूली एवं अधोसरंचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली / कम वसूली के कारण ₹ 256.34 करोड़ की कम प्राप्ति देखी गयी।

वाणिज्यिक कर

- वाणिज्यिक कर विभाग में प्रतिदाय के भुगतान में अत्यधिक विलंब में सन्निहित ब्याज की राशि ₹ 93.91 लाख के भुगतान का दायित्व, ₹ 4.19 करोड़ के आगत कर रिबेट का त्रुटिपूर्ण अग्रणित होना, प्रतिदाय राशि ₹ 3.63 करोड़ का गलत मान्य किया जाना, मालों के गलत वर्गीकरण से कर ₹ 4.64 करोड़ का अवरोपण एवं कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.02 करोड़ का अनारोपण देखा गया।

वाहन कर

- परिवहन विभाग ने 2,263 वाहन स्वामियों से बकाया कर ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.31 करोड़ प्राप्त नहीं किया।

राज्य उत्पाद

- वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा आबकारी दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के बकाया का अनियमित समायोजन बैंक गारंटी की राशि ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा राशि ₹ 2.13 करोड़ से किया गया।

वानिकी तथा वन्य प्राणी

- वन विभाग में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना वाटर बाऊन्ड मैकेडम (डब्लू.बी.एम.) सङ्कों के निर्माण पर राशि ₹ 2.33 करोड़ का व्यय करना, असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण पर राशि ₹ 2.03 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं बिना खुली निविदा प्रक्रिया के राशि ₹ 3.23 करोड़ का भण्डार सामग्रियों का क्रय किया जाना पाया गया।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक लेखापरीक्षा “मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया” सहित खनिज प्राप्तियों, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी से संबंधित 13 कंडिकायें सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 292.26 करोड़ है, जिसमें से ₹ 284.67 करोड़ (वर्ष 2016–17 के राज्य के कर एवं कर–भिन्न राजस्व का 1.16 प्रतिशत) अवनिर्धारण, अवरोपण/अनारोपण, राजस्व हानि आदि से संबंधित था एवं ₹ 7.59 करोड़ अनियमित एवं परिहार्य व्यय से संबंधित था। विभागों द्वारा ₹ 48.75 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए ₹ 4.84 करोड़ की वसूली की गयी।

राशि ₹ 238.30 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें खनिज साधन विभाग के खनि पट्टों के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण (₹ 177.60 करोड़) एवं अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली/कम वसूली (₹ 42.30 करोड़) सम्मिलित हैं।

कुछ मुख्य प्रेक्षणों का संकलन नीचे वर्णित हैं:

1. सामान्य

राज्य शासन की वर्ष 2015–16 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 46,067.71 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2016–17 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 53,685.25 करोड़ थी। राज्य शासन का संग्रहीत राजस्व ₹ 24,614.46 करोड़ था (कुल राजस्व प्राप्तियों का 45.85 प्रतिशत); भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 29,070.79 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 54.15 प्रतिशत) था। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन के बाद केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हुआ।

(कंडिका 1.2.1)

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खनिज साधन विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान अधिक था। राजस्व मदों बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, विद्युत कर तथा शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण, माल तथा यात्री कर, भू–राजस्व एवं अलौह खनन तथा खनिकर्म उद्योग में प्राप्तियाँ बजट अनुमान के विरुद्ध पांच से 25 प्रतिशत तक कम रही।

प्रमुख सचिव, वित्त एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त अधिनियम, 1971 के धारा 18(1)(ख) एवं लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 के विनियम 181 में विनिर्दिष्ट अधिदेश का पालन करने में असमर्थ रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि शासन लेखापरीक्षा को अभिलेखों का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करे, जिससे लेखापरीक्षा संविधान एवं नियमों में दिये गये अधिदेश का पालन कर सके।

(कंडिका 1.2.2 एवं 1.2.3)

31 मार्च 2017 की स्थिति में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, विद्युत कर तथा शुल्क, वाहन कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण, खनिज प्राप्तियाँ एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी से ₹ 2,698.93 करोड़ बकाया थे, जिसमें से ₹ 975.84 करोड़ पाँच वर्ष से भी

अधिक समय से लंबित थे। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर एवं खनिज साधन विभाग को छोड़कर शेष तीन मुख्य राजस्व विभागों वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बकाया राजस्व का डाटाबेस का संधारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इन विभागों द्वारा बकाया राजस्व के वसूली हेतु लंबित विभिन्न चरणों का विवरण प्रदाय नहीं किया जा सका। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बकाया राजस्व के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि वर्ष 2016–17 के विभिन्न लघु शीर्षों के बकाया के प्रारंभिक शेष के आंकड़े पिछले वर्ष 2015–16 के अंत शेष से मिलान नहीं हो रहे थे। खनिज साधन विभाग उन्हीं प्रकरणों को बकाया मानती है जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं एवं विभाग के पास वास्तविक बकाया राजस्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। साथ ही पिछले पाँच वर्षों से कोई राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं की गयी है। इसलिए विभागीय आंकड़े वास्तविक नहीं हैं।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा समय समय पर बकाया वसूली के अवलोकन एवं उसकी समीक्षा हेतु डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।

(कंडिका 1.3)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 2,532 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10,267 कंडिकाओं जिसमें राशि ₹ 6,868.16 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, जून 2017 तक बकाया थे। वर्ष 2014–17 के दौरान जारी किये गये 471 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 320 निरीक्षण प्रतिवेदनों (67.94 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(कंडिका 1.4.1)

वर्ष 2016–17 में कुल ४८ लेखापरीक्षा समिति बैठकें प्रस्तावित थे, परन्तु मात्र चार (वन विभाग–३ एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी)–१) बैठकें ही आयोजित हो पाई। कुल 235 चर्चा की गई कंडिकाओं के विरुद्ध मात्र 113 कंडिकाओं का ही निराकरण हो सका। कंडिकाओं का अनिराकृत रहने का कारण वांछित अभिलेखों का प्रस्तुत न होना एवं वसूली की कार्यवाही जारी रहना था। परिवहन विभाग से लेखापरीक्षा समिति बैठक का आयोजन न होने का कारण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अद्यतन स्थिति तैयार न करना एवं वांछनीय अभिलेख उपलब्ध न कराना था।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि शासन समस्त विभागों को निर्देशित करें कि समय समय पर लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन कर, लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का निराकरण करें एवं सुनिश्चित करें कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रासंगिक अभिलेख अद्यतन कर प्रस्तुत करें।

(कंडिका 1.4.2)

अवधि 2012–17 के मध्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को 98 प्रकरणों के नस्तियां/अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो की विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं गबन के सम्भाव्य कूटसंधि जैसे खतरों का सूचक है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि शासन ऐसे कदम उठायें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत हो विशेषकर जब पर्याप्त सूचना दी जा रही हो एवं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, जो लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।

(कंडिका 1.4.3)

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, स्टाम्प तथा पंजीकरण, भू—राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 85 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इसके अलावा खनिज साधन विभाग के आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा माह अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा करों एवं शुल्कों का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 38,881 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 2,913.82 करोड़ के अनियमिततायें देखी गयीं। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 13,669 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 178.95 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,194 प्रकरणों में राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गयी।

(कंडिका 1.6)

2. खनिज प्राप्तियाँ

यद्यपि खनिज साधन विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं एवं निर्देशों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006–07 पर 93वां प्रतिवेदन वर्ष 2011–12) के परिपालन में खदानों के निष्क्रिय होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये, पर विभाग ने खदान निष्क्रिय न हो सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं की।

(कंडिका 2.4)

संचालक, भौमिकी तथा खनीकर्म (सं.भौ.ख.) द्वारा कोयला/मिडलिंग/रिजेक्ट के विक्रय मात्रा, ग्रेड एवं बीजक मूल्य प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली सुनिश्चित न किये जाने से रायल्टी की राशि ₹ 9.86 करोड़ का अवरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि (i) लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत करे, (ii) मासिक पत्रक के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार करे ताकि मासिक पत्रक में विक्रय किये गये मिडलिंग/रिजेक्ट कोयले की मात्रा और मूल्य का विवरण भी दर्शाया जा सके; (iii) बीजक में दर्शाये गये आधार मूल्य पर लागू दरों के अनुसार रायल्टी की वसूली सुनिश्चित करे।

(कंडिका 2.5)

जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.) द्वारा खनन योजना के पुनरीक्षण अथवा भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा लौह अयस्क के औसत विक्रय मूल्य के विलंबित प्रकाशन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि वसूल किये जाने हेतु सुनिश्चित नहीं किये जाने से चार प्रकरणों में अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 19.45 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

{कंडिका 2.6(i) एवं (ii)}

आठ उपसंचालक खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)/जि.ख.अ. की मांग एवं वसूली पंजी की समीक्षा और मांग पत्र जारी करने में विफलता के कारण 36 खनि एवं उत्थनि पट्टेदारों से अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 1.07 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.7)

सात उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा छत्तीसगढ़ खनन पट्टे, खदान पट्टे के अधीन भूमि पर निर्धारण नियम, 1987 में प्रावधानित दर अनुसार भू—राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण करने में विफल रहने के फलस्वरूप 694 खनिपट्टों से भू—राजस्व की राशि ₹ 177.60 करोड़ की अप्राप्ति हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि खनिज साधन विभाग सभी जिलों में खनन क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि से भू—राजस्व के संग्रहण हेतु समीक्षा करें।

(कंडिका 2.8)

पांच उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए वसूलनीय राशि ₹ 21.73 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 15.67 की वसूली की, जिसके कारण राशि ₹ 6.06 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.9)

सात उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा उत्खनि एवं खनि पटटों से अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 42.30 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.10)

3. वाणिज्यिक कर

लोक लेखा समिति द्वारा संदेहास्पद फार्म 'एफ' के माध्यम से कर के अनारोपण में त्वरित कार्यवाही करने एवं कर वसूल किये जाने के निर्देशों (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 पर 22वां प्रतिवेदन वर्ष 2014–15) का पालन करने में वाणिज्यिक कर विभाग विफल रहा। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002–03 पर 81वां प्रतिवेदन, 2010–11) पर आवृत्त के गलत निर्धारण के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पालन किया गया परन्तु समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3)

“मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया” पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

11 नमूना जाँच इकाईयों के अवधि 2012–13 से 2016–17 के मध्य कुल 2,953 प्रकरणों में से 1,039 प्रकरणों (35.18 प्रतिशत) में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रतिदाय का भुगतान आदेश पारित करने के दिनांक से लेकर 2,234 दिनों तक विलंब से किया गया। प्रतिदाय भुगतान में विलंब के कारण ₹ 93.91 लाख का ब्याज व्यवसायियों को विभाग द्वारा देय था; जिसका भुगतान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग द्वारा प्रतिदाय प्रकरणों को समयबद्ध निराकरण करने हेतु कार्य योजना तैयार करे ताकि ब्याज के भुगतान की बाध्यता से बचा जा सके।

(कंडिका 3.4.8)

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक व्यवसायी द्वारा त्रुटीपूर्ण दावा एवं आगत कर रिबेट की अग्रणित राशि ₹ 4.19 करोड़ को पता लगाने में विफल रहा।

{कंडिका 3.4.9 (i)}

दो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा दो व्यवसायियों के आवर्त्त का गलत गणना किये जाने से कर की राशि ₹ 3.24 करोड़ का कम आरोपण के फलस्वरूप राशि ₹ 2.76 करोड़ का गलत प्रतिदाय हुआ।

{कंडिका 3.4.9 (ii)}

विभाग द्वारा संकर्म संविदा व्यवसायियों के करयोग्य आवृत्त गणना के संबंध में जारी परिपत्र (सितम्बर 2012) का कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पालन न किये जाने से ₹ 86.77 लाख का गलत प्रतिदाय हुआ।

(कंडिका 3.4.10)

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षणः

चार निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यवसायियों द्वारा घोषित मालों का गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफल होने के कारण कर की राशि ₹ 4.64 करोड़ का अवरोपण हुआ।

(कंडिका 3.5)

दो प्रकरणों का कर निर्धारण करते समय दो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मूल्य संवर्धित कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 1.02 करोड़ का अनारोपण।

(कंडिका 3.6)

4. अन्य कर प्राप्तियाँ

वाहन कर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं (46वां प्रतिवेदन 2009–10, 56वां प्रतिवेदन 2009–10 एवं 96वां प्रतिवेदन 2011–12) के बकाया कर की वसूली जल्द करने एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के अनुपालन में परिवहन विभाग द्वारा कुल कर एवं शास्ति ₹ 5.48 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.08 करोड़ की वसूली कर ली गयी एवं लोक लेखा समिति द्वारा 46वां एवं 56वां प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के पालन में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। इसके बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये समान प्रेक्षण, यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को दोहराने के लिए रोकथाम हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।

(कंडिका 4.4)

सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों से मोटर यान कर का भुगतान समय पर सुनिश्चित किये जाने हेतु विफल होने से 2,263 वाहन स्वामियों से कर ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 2.31 करोड़ बकाया रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे वाहन करों की पूर्ण वसूली हो सके तथा कर एवं शास्ति का भुगतान करने से कोई भी चूककर्ता बच न सके।

(कंडिका 4.5)

राज्य उत्पाद

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, अनाज से शीरा तैयार करने के मानक बनाने हेतु लोक लेखा समिति की अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 पर 8वां प्रतिवेदन, 2014–15) का पालन करने में विफल रहा।

(कंडिका 4.9)

बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा की राशि का राजसात किये जाने के बजाय विभाग द्वारा छ: अनुज्ञितिधारियों के अनुज्ञिति को निरस्त एवं अन्य चार अनुज्ञितिधारियों जो दुकानों के संचालन अवधियों के लायरेंस फीस का भुगतान न करने पर भी अभ्यर्पण का आवेदन स्वीकार कर उनसे बकाया ₹ 27.73 करोड़ के विरुद्ध बैंक गारंटी की राशि ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 2.13 करोड़ का समायोजन कर ₹ 22.56 की मांग जारी की गयी।

(कंडिका 4.10)

5. वानिकी तथा वन्य प्राणी

दो वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवश्यक भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना छ: नये वाटर बाऊन्ड मैकेडम (डब्लू.बी.एम.) सड़कों का निर्माण कर राशि ₹ 2.33 करोड़ का व्यय किया।

(कंडिका 5.4)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा राज्य कैम्पा के तुलना में विभागीय असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण में मानकों को उच्चतर दर जारी करने के फलस्वरूप चार वनमण्डलों द्वारा वर्ष 2014–15 में 1,295.12 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण पर राशि ₹ 2.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग को विभिन्न मदों के अंतर्गत एक ही तरह के वानिकी कार्य के लिए मानक निर्धारित करते समय एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए।

(कंडिका 5.5)

पाँच वनमण्डलों ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 का उल्लंघन कर खुली निविदा की प्रक्रिया पालन किये बिना राशि ₹ 3.23 करोड़ का भण्डार सामग्रियों का क्रय विभिन्न सहकारी समितियों से किया।

(कंडिका 5.6)

अध्याय १ः

सामान्य

अध्याय—1: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय छत्तीसगढ़ (छ.ग.) शासन की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बकाया करों¹ का जो वसूली हेतु लंबित है का विश्लेषण, लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया और इसके साथ निपटने के लिए विभागीय तंत्र प्रस्तुत करता है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 छ.ग. शासन द्वारा संग्रहीत कर तथा कर—भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान जो भारत सरकार से वर्ष 2012–17 के दौरान प्राप्त हुए के आंकड़े तालिका 1.1 में वर्णित हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	13,034.21	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21
	• कर—भिन्न राजस्व	4,615.95	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25
	योग	17,650.16	19,443.88	20,637.17	22,289.65	24,614.46
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम	7,217.60	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16 ²
	• सहायता अनुदान	4,710.33	4,726.16	8,987.81	8,061.59	10,261.63
	योग	11,927.93	12,606.38	17,350.84	23,778.06	29,070.79
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	29,578.09	32,050.26	37,988.01	46,067.71	53,685.25
4.	1 का 3 से प्रतिशत	60	61	54	48	46


(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद वर्ष 2015–16 से केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से में 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।


¹ वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (आर.डी.एम.) एवं खनिज साधन विभाग।

² विस्तृत विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे में विवरण पत्र क्रमांक 14 ‘राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से’ को देखें। लघु शीर्ष 901—‘राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश’ के आंकड़े, जो ‘क—कर राजस्व’ के अंतर्गत हैं, जिसमें मुख्य शीर्ष 0020—निगम कर, 0021—आय पर निगम कर से भिन्न कर, 0028—आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032—धन कर, 0037—सीमा शुल्क, 0038—संघ उत्पाद शुल्क, 0044—सेवा कर एवं 0045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:



1.2.2 वर्ष 2016–17 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है:



प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान (ब.अ.), वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित ब.अ. और 2012–17 की अवधि के दौरान संग्रहीत कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ तालिका 1.2 में दर्शाई गयी हैं:

तालिका 1.2: शासन द्वारा उदग्रहीत कर राजस्व का विवरण


(₹ करोड़ में)

संक्र.	राजस्व शीर्ष		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	वर्ष 2015–16 की तुलना में 2016–17 आवधि (+) या कमी (-) का प्रतिशत	वर्ष 2016–17 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	प्रस्तावित ब.आ.	7,170.60	8,010.49	9,118.94	9,270.93	10,198.02	(+) 11.44	(-) 16.78	
		अनुमोदित ब.आ.	7,200.00	8,436.00	9,800.00	10,998.00	11,928.37			
		वास्तविक	6,928.65	7,929.51	8,428.61	8,908.36	9,927.21			
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	प्रस्तावित ब.आ.	1,820.00	2,589.00	2,646.91	3,200.00	3,360.00	(+) 3.15	(-) 11.02	
		अनुमोदित ब.आ.	1,650.00	2,575.00	3,150.00	3,528.00	3,870.00			
		वास्तविक	2,485.68	2,549.15	2,892.45	3,338.40	3,443.51			
3.	विद्युत कर तथा शुल्क	प्रस्तावित ब.आ.	699.00	715.00	1,196.00	1,400.00	1,420.00	(+) 8.93	(-) 5.05	
		अनुमोदित ब.आ.	684.00	820.00	1,100.00	1,400.00	1,575.00			
		वास्तविक	860.75	1,020.44	1,312.93	1,372.84	1,495.48			
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण	प्रस्तावित ब.आ.	950.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,320.00	(+) 2.20	(-) 18.43	
		अनुमोदित ब.आ.	1,000.00	1,150.00	1,250.00	1,350.00	1,485.00			
		वास्तविक	952.47	990.24	1,023.33	1,185.22	1,211.35			
5.	माल तथा यात्री कर	प्रस्तावित ब.आ.	950.00	1,102.44	1,087.26	1,080.62	1,188.68	(+) 28.85	(-) 14.29	
		अनुमोदित ब.आ.	805.00	1,192.00	1,335.00	1,441.80	1,563.77			
		वास्तविक	954.31	945.44	981.88	1,040.26	1,340.35			
6.	वाहन कर	प्रस्तावित ब.आ.	550.00	618.58	699.63	761.83	950.40	(+) 18.82	(+ 3.27	
		अनुमोदित ब.आ.	550.00	731.38	800.00	864.00	954.11			
		वास्तविक	591.75	651.07	703.48	829.22	985.27			
7.	भू-राजस्व	प्रस्तावित ब.आ.	275.00	292.21	459.45	468.80	496.80	(+) 38.43	(-) 8.43	
		अनुमोदित ब.आ.	275.00	376.00	460.00	496.80	550.00			
		वास्तविक	234.11	226.06	331.56	363.84	503.66			
8.	अन्य कर राजस्व ³	प्रस्तावित ब.आ.	19.27	24.16	33.73	32.29	35.28	(+) 4.66	(+ 1.53	
		अनुमोदित ब.आ.	11.47	19.91	31.26	7.25	37.85			
		वास्तविक	26.49	30.80	33.02	36.72	38.38			
योग		प्रस्तावित ब.आ.	12,433.87	14,351.88	16,341.92	17,414.47	18,969.18	(+) 10.95	(-) 13.74	
		अनुमोदित ब.आ.	12,175.47	15,300.29	17,926.26	20,085.85	21,964.10			
		वास्तविक	13,034.21	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21			

(झोत: वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

³ ‘अन्य’ में सम्मिलित वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ: होटल प्राप्ति कर (₹ 8.71 करोड़); आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 0.60 करोड़) एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 29.12 करोड़)

1.2.3 वर्ष 2016–17 में शासन द्वारा विभिन्न कर–भिन्न राजस्व प्राप्तियों का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है;



2012–17 की अवधि के दौरान उदग्रहीत कर–भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: शासन द्वारा उदग्रहीत कर–भिन्न राजस्व का विवरण

संक्र.	राजस्व शीर्ष		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	वर्ष 2015–16 की तुलना में 2016–17 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत	वर्ष 2016–17 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत
			ब.आ.	वास्तविक	ब.आ.	वास्तविक	ब.आ.		
1	अलौह खजन तथा धातुकर्म उद्योग	ब.आ.	3,000.00	3,510.00	4,100.00	7,000.00	5,500.00	(+) 11.64	(-) 24.70
		वास्तविक	3,138.18	3,236.01	3,572.68	3,709.52	4,141.47		
2	वानिकी तथा वन्य प्राणी	ब.आ.	405.00	450.00	520.00	500.00	550.00	(-) 1.12	(-) 26.34
		वास्तविक	363.96	405.91	348.72	409.75	405.15		
3	व्याज प्राप्तियाँ	ब.आ.	308.55	364.14	323.40	260.67	249.38	(+) 45.28	(-) 36.95
		वास्तविक	243.13	380.91	171.89	108.23	157.24		
4	वृहद सिंचाई	ब.आ.	317.13	340.31	413.55	389.34	586.47	(-) 12.91	(-) 25.43
		वास्तविक	350.16	339.82	410.95	502.17	437.35		

5	लघु सिंचाई	ब.अ.	1,176.85	853.04	561.50	277.47	288.34	(+) 48.34	(-) 37.28	
		वास्तविक	246.78	407.81	127.23	121.91	180.84			
6	चिकित्सा तथालोक स्वास्थ्य	ब.अ.	13.89	14.18	14.80	16.22	15.93	(+) 7.76	(-) 191.90	
		वास्तविक	17.09	19.84	20.16	43.15	46.50			
7	लोक निर्माण कार्य	ब.अ.	10.45	12.80	18.93	21.77	43.72	(-) 3.77	(-) 5.95	
		वास्तविक	28.02	21.21	39.21	42.73	41.12			
8	अन्य प्रशासनिक सेवायें	ब.अ.	18.69	19.29	16.06	30.40	23.69	(-) 44.05	(+ 54.75	
		वास्तविक	20.34	38.20	36.45	65.52	36.66			
9	अन्य सामाजिक सेवाएं	ब.अ.	1.75	1.00	10.00	6.26	4.30	(-) 1.51	(+ 567.67	
		वास्तविक	12.09	64.34	41.74	29.15	28.71			
10	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब.अ.	3.63	4.01	4.65	5.65	7.60	(+ 106.89	(+ 255.79	
		वास्तविक	9.30	6.78	30.78	13.07	27.04			
11	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ⁴	ब.अ.	89.62	503.23	201.73	155.21	150.71	(-) 1.43	(+ 10.92	
		वास्तविक	186.90	180.34	130.10	169.59	167.17			
योग		ब.अ.	5,345.56	6,072.00	6,184.62	8,662.99	7,420.14	(+ 8.71	(-) 23.60	
		वास्तविक	4,615.95	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25			

(झोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता अध्याय-1 के नियम 192 अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदाय किये गये जानकारी के आधार पर वित्त विभाग अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों के विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। वित्त विभाग को प्रदाय किये गये विवरणों के सही होने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग का है।

वर्ष 2016–17 के सात मुख्य प्रशासनिक विभागों⁵ के राजस्व अनुमानों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि परिवहन विभाग को छोड़कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान प्रशासनिक विभागों द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत कर तथा शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण, माल तथा यात्री कर, भू-राजस्व एवं अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग मदों में प्रस्तावित बजट अनुमान से अत्यधिक था। परिणामस्वरूप परिवहन विभाग को छोड़कर शेष छ: विभागों में प्राप्ति, बजट अनुमान के विरुद्ध पाँच से 25 प्रतिशत तक कम रहा।

⁴ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में सम्मिलित है वर्ष 2016–17 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ: अन्य राजकोषीय सेवाएं (₹ 0.01 करोड़); लाभांश तथा लाभ (₹ 0.55 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 2.28 करोड़); पुलिस (₹ 15.29 करोड़); जेल (₹ 7.72 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रन (₹ 4.48 करोड़); पेशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 7.44 करोड़); विविध सामान्य सेवाएं (₹ 21.84 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.05 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 5.70 करोड़); आवास (₹ 3.70 करोड़); शहरी विकास (₹ 6.74 करोड़); सूचना तथा प्रचार (₹ 0.06 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 19.35 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 7.71 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 14.40 करोड़); पशुपालन (₹ 6.25 करोड़); मछली पालन (₹ 4.09 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भांडागार (₹ 0.49 करोड़); सहकारिता (₹ 4.05 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 2.46 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 11.22 करोड़); मध्यम सिंचाई (₹ 6.28 करोड़); ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 1.79 करोड़); उद्योग (₹ 1.95 करोड़); नागर विमानन (₹ 0.71 करोड़); सड़क तथा सेतु (₹ 1.83 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 8.73 करोड़)

⁵ वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खनिज साधन विभाग।

प्रमुख सचिव, वित्त एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका (परिशिष्ट-1)।

परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त अधिनियम, 1971 के धारा 18(1)(ख) एवं लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के विनियम 181 में विनिर्दिष्ट अधिदेश का पालन करने में असमर्थ रहा।

अनुशंसा:

शासन लेखापरीक्षा को अभिलेखों का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे लेखापरीक्षा संविधान एवं नियमों में दिये गये अधिदेश का पालन कर सके।

1.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2017 की स्थिति में सात⁶ विभागों का बकाया राजस्व ₹ 2,698.93 करोड़ था, जिसमें ₹ 975.84 करोड़ (36.16 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णन किया गया है:

तालिका 1.4: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

संक्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 तक बकाया राशि	31 मार्च 2017 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग का उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,887.09	831.28	न्यायालयों में लंबित मामले (₹ 651.02 करोड़); बंद व्यवसाय (₹ 487.62 करोड़); बीमार उद्योग (₹ 7.55 करोड़); अपलेखन (₹ 2.20 करोड़); राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.) जारी किया गया (₹ 198.56 करोड़); भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही (₹ 540.14 करोड़)।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	49.91	19.91	अनुज्ञप्तिधारी के चल/अचल सम्पत्ति का व्यौरा न होना और न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण।
3.	विद्युत कर तथा शुल्क	708.53	108.35	रा.व.प्र. जारी किया गया (₹ 169.05 करोड़); न्यायालय में लंबित (₹ 93.32 करोड़); मांग नोटिस जारी (₹ 446.21 करोड़)।
4.	वाहन कर	26.65	9.80	परिवहन अधिकारियों द्वारा कर भुगतान हेतु वाहन स्वामियों को नियमित रूप से नोटिस जारी किया जाता है; बकाया राजस्व की त्वरित वसूली हेतु बकाया करदाताओं की सूची चेक-पोस्ट/उड़नदस्ता के अधिकारियों को दे दी गई है।
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण	17.23	2.35	जिला पंजीयक (जि. प.) द्वारा बकाया राशि वसूलने के लिए मांग जारी किए जा रहे हैं। अनुरोध किये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा बकाया के विभिन्न चरणों जिस पर

⁶ वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, वन, खनिज साधन और परिवहन।

				बकाया लंबित है, नहीं प्रदान किया गया।
6.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.85	0.85	खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा अनुज्ञापिताधियार्यों की पहचान न होने के कारण 44 प्रकरणों का अपलेखन (₹ 10.14 लाख); 30 प्रकरणों में नस्तियाँ की अनुपलब्धता (₹ 0.31 करोड़); 94 प्रकरणों में रा.व.प्र. की गई एवं वसूली जारी है (₹ 0.44 करोड़)।
7.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8.67	3.30	कुल बकाया राशि में से राशि ₹ 2.81 करोड़ वर्ष 2016-17 से संबंधित है, जिसे इस वर्ष वसूल कर लिया जाएगा। शेष राशि क्रेताओं द्वारा निश्चित किस्त की राशि का भुगतान न किये जाने एवं क्रेताओं के नाम पर चल/अचल सम्पत्तियाँ न होने के कारण लंबित हैं।
योग		2,698.93	975.84	

(झोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर शेष तीन मुख्य राजस्व विभागों वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बकाया राजस्व का डाटाबेस का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण इन विभागों द्वारा विभिन्न चरणों पर लंबित बकाया राशि की वसूली का विवरण प्रदाय नहीं किया जा सका। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदाय बकाया राजस्व के आंकड़े (कुल 27 जिलों में से मात्र 18 जिलों के ही उपलब्ध) विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि बकाया के प्रारंभिक शेष के आंकड़े पिछले वर्ष के अंत शेष से मिलान नहीं हो रहे थे। खनिज साधन विभाग उन्हीं प्रकरणों को बकाया मानती है जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं एवं विभाग के पास वास्तविक बकाया राजस्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। साथ ही पिछले पाँच वर्षों से कोई राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। फलस्वरूप विभागीय आंकड़े वास्तविक नहीं थे।

आगे वाणिज्यिक कर एवं खनिज साधन विभाग द्वारा बकाया वसूली की निगरानी क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा प्रेषित त्रैमासिक/मासिक विवरण के द्वारा कि जाती है। शेष तीन विभागों में बकाया वसूली की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

अनुशंसा:

विभागों द्वारा समय समय पर बकाया वसूली के अवलोकन एवं उसकी समीक्षा हेतु डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।

1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

1.4.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2017 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 2,532 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,267 कंडिकाएँ जिसमें राशि ₹ 6,868.16 करोड़ के सम्बावी राजस्व सन्निहित है, जून 2017 तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दर्शित है:

तालिका 1.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	नि.प्र. का प्रकार	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्नहित राशि		
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	राज.	472	3,042	550.66		
			व्यय	30	56	5.42		
2.	वाणिज्यिक कर (आबकारी)	राज्य उत्पाद	राज.	146	378	416.37		
		मनोरंजन कर	राज.	82	128	3.98		
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	व्यय	29	56	21.47		
3.	वाणिज्यिक कर (पंजीयन)	स्टाम्प तथा पंजीकरण	राज.	250	751	100.01		
			व्यय	4	10	1.81		
4.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	भू—राजस्व	राज.	589	1,849	1,059.46		
			व्यय	40	102	13.77		
5.	परिवहन	वाहन कर	राज.	173	1,343	196.18		
			व्यय	41	92	0.21		
6.	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	राज.	157	588	954.65		
			व्यय	25	47	261.18		
7.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	राज.	359	1,071	1,249.75		
			व्यय	411	1,904	813.70		
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	राज.	16	75	1,685.91		
			व्यय	3	10	5,330.98		
9.	अन्य कर विभागों	अन्य प्राप्तियाँ	राज.	288	1,042	651.19		
			व्यय	1	10	0.13		
राज.—राजस्व				राज.	2,532	10,267		
				व्यय	764	2,287		
				योग	3,296	12,554		
						13,316.83		

वर्ष 2014–17 के दौरान जारी किये गये 471 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 320⁷ निरीक्षण प्रतिवेदनों (67.94 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यमों से संबोधित किये गये आक्षेपों को गंभीरता से लिए जाने की विफलता जोखिम से भरी है क्योंकि कुशासन, ब्रष्टाचार, गबन एवं दुर्विनियोजन के गंभीर मामले का निवारण नहीं किया जा सकेगा।

अनुशंसा:

शासन ऐसे तंत्र स्थापित करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया कर, सुधारात्मक

⁷ वाणिज्यिक कर—60; वाणिज्यिक कर (आबकारी)—73; वाणिज्यिक कर (पंजीयन)—13; राजस्व एवं आपदा प्रबंधन—34; परिवहन—50; खनिज साधन—30; वन—54 और ऊर्जा—6

कार्यवाही करे एवं लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करे ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

1.4.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना, निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की जाती है।

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण तालिका 1.6 में दर्शित है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा समिति बैठक के आयोजनों का विवरण

विभाग	कुल आयोजित और तिथिवार बैठकों की संख्या	चर्चा की गई नि.प्र. /कंडिकाओं की संख्या	कुल निराकृत नि. प्र. /कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)
वन विभाग	03 (29.08.2016, 30.08.2016 और 31.08.2016)	64 / 166	02 / 66	39.78	3,797.10
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	01 (28.12.2016)	53 / 69	25 / 47	68.12	149.75
योग	4	117 / 235	27 / 113	48.09	3,946.85

वर्ष 2016–17 के दौरान छ: लेखापरीक्षा समिति बैठकें प्रस्तावित थी, परन्तु मात्र चार बैठकें ही आयोजित की जा सकी क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति तैयार नहीं की गयी एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। वन एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के मामलों में कंडिकाओं का अनिराकृत रहने का कारण वांछित अभिलेखों का लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न करने एवं वसूली की कार्यवाही जारी रहने के कारण था।

कंडिकाओं के निराकरण की स्थिति विभाग/शासन को सूचित (फरवरी 2017 एवं जुलाई 2017 के मध्य) की गयी। अनिराकृत कंडिकाओं के संबंध में विभाग/शासन से लेखापरीक्षा को कोई पश्चात्वर्ती उत्तर एवं वसूली के समर्थन में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

अनुशंसा:

शासन समस्त विभागों को निर्देशित करे कि समय समय पर लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन कर, लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का निराकरण करे एवं सुनिश्चित करे कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रासंगिक अभिलेख अद्यतन कर प्रस्तुत करें।

1.4.3 लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व/कर-भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार कर सके।

अवधि 2012–17 में 98⁸ कर निर्धारण नस्तियां, विवरणियां, प्रतिदाय, दस्तावेज, पंजिया एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्य को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर विभागों के सचिवों को प्रेषित किये गये थे। उक्त किसी भी प्रकरण में कर के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना सम्भाव्य भ्रष्टाचार, गबन एवं दुर्विनियोजन जैसे खतरों का सूचक है। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी।

अनुशंसा:

शासन ऐसे कदम उठाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत हो विशेषकर जब पर्याप्त सूचना दी जा रही हो एवं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, जो लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।

1.4.4 लेखापरीक्षा पर अनुसरण—सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गये निर्देशानसुआर, लेखापरीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के भीतर प्रतिवेदन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखापरीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2016 तक की 204 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं मार्च 2017 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 14⁹ कंडिकाओं की विभागीय टिप्पणी राज्य के राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन, ऊर्जा वन एवं खनिज साधन) से प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2018)।

लोक लेखा समिति द्वारा 2002–03 से 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 154 चुनिंदा कंडिकाओं में से 113 कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं वर्ष 2002–03 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 33 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परंतु 2010–11 एवं 2016–17 के मध्य 13¹⁰ अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से जून 2018 तक कार्यवाही टीप अप्राप्त है।

1.5 लेखापरीक्षा में उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण पिछले 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु खनिज साधन विभाग का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अनुवर्ती कंडिका 1.5.1 से 1.5.3 के अन्तर्गत खनिज साधन विभाग के विगत 10 वर्षों में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये का आंकलन कर चर्चा की गयी है।

⁸ वाणिज्यिक कर— 50 प्रकरण, वाणिज्यिक कर (पंजीयन)—39 प्रकरण एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन—09 प्रकरण

⁹ 2004–05 (01), 2013–14 (01), 2014–15 (04) एवं 2015–16 (08)

¹⁰ खनिज साधन—01; वाणिज्यिक कर (आबकारी)—01; ऊर्जा—01; परिवहन—01; वाणिज्यिक कर—06; जल संसाधन विभाग—01 एवं वन—02

1.5.1 खनिज साधन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं और 31 मार्च 2017 के अनुसार उनकी स्थिति नीचे तालिका 1.7 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	वर्ष		प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत			अंतिम शेष		
			नि.प्र.	कंडि काएँ	राशि	नि. प्र.	कंडि काएँ	राशि	नि.प्र.	कंडि काएँ	राशि	नि. प्र.	कंडि काएँ	राशि
1.	2007–08	राज.	96	341	432.30	12	59	68.09	3	16	9.72	105	384	490.67
2.	2008–09	राज.	105	384	490.67	12	63	20.08	3	39	34.01	114	408	476.74
3.	2009–10	राज.	114	408	476.74	7	32	4.64	6	46	11.89	115	394	469.49
4.	2010–11	राज.	115	394	469.49	9	47	116.14	4	35	4.46	120	406	581.17
5.	2011–12	राज.	120	406	581.17	11	95	390.49	2	44	136.33	129	457	835.33
6.	2012–13	राज.	129	457	835.33	5	28	8.81	निरंक	7	0.57	134	478	843.57
7.	2013–14	राज.	134	478	843.57	7	42	25.46	2	35	28.91	139	485	840.12
		व्यय	निरंक	निरंक	निरंक	7	7	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	7	7	निरंक
8.	2014–15	राज.	139	485	840.12	4	22	7.87	निरंक	3	4.37	143	504	843.62
		व्यय	7	7	निरंक	4	7	14.58	निरंक	निरंक	निरंक	11	14	14.58
9.	2015–16	राज.	143	504	843.62	8	65	43.63	2	9	0.29	149	560	886.96
		व्यय	11	14	14.58	7	17	211.09	1	1	निरंक	17	30	225.67
10.	2016–17	राज.	149	560	886.96	8	53	72.36	निरंक	25	4.67	157	593	954.65
		व्यय	17	30	225.67	9	18	35.51	1	1	निरंक	25	47	261.18

राज.-राजस्व

शासन पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु विभाग एवं प्रधान महालेखाकार के मध्य लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करता है। खनिज साधन विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की गयी।

1.5.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई तथा वसूल की गई राशि नीचे तालिका 1.8 में वर्णित हैं:

तालिका 1.8: स्वीकृत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सम्मिलित की गई कंडिकाओं की संख्या	राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	वसूल की गई राशि
2006–07	05	0.87	05	0.87	0.48
2007–08	02	4.32	01	4.13	1.85
2008–09	04	0.42	04	0.42	0.04
2009–10	03	1.50	03	1.50	1.09
2010–11	01	294.54	निरंक	169.64	69.72

2011–12	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2012–13	02	0.15	02	0.15	0.02
2013–14	01	0.12	01	0.12	0.02
2014–15	02	7.06	01	0.14	निरंक
2015–16	04	14.93	02	14.67	निरंक
योग	23	323.91	19	191.64	73.22

स्वीकृत कंडिकाओं के संबंध में जहाँ वसूली होनी है वहाँ शासन ने लोक लेखा समिति को बताया कि कुछ प्रकरण न्यायालयों में लंबित, कुछ प्रकरणों में वसूली प्रक्रियाधीन है, आदि।

1.5.3 शासन/विभागों द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

विषय “मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण” पर स्टैण्ड अलोन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 के अनुशंसाओं पर अनुपालन एवं खनिज साधन विभाग से प्राप्त (सितम्बर 2017) उत्तर नीचे तालिका 1.9 में वर्णित है:

तालिका 1.9: अनुशंसाओं की स्थिति का विवरण

संक्र.	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
1.	शासन आदर्श राज्य खनिज नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने एवं उसके क्रियान्वयन पर विचार करें।	शासन द्वारा राज्य खनिज नीति, 2012 का बनाया गया है।
2.	प्रणाली में कमियाँ, राजस्व रिसाव को संसूचित करने और नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधानों के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एक नियमित आधार पर की जावे।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु संयुक्त संचालक (वित्त) के नेतृत्व में गठित दल द्वारा नियमित जिलों का निरीक्षण किया जा रहा है। नमूना जाँच किये गये जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा अपने 2012–13 से 2016–17 के निरीक्षण प्रतिवेदनों में मुख्य एवं गौण खनिज के निर्धारण लंबित बताये गये हैं, जिसके बावजूद उपसंचालक खनिज प्रशासन/जिला खनिज अधिकारियों द्वारा कोई समाधानकारक कार्यवाही नहीं की गयी।
3.	राज्य शासन, शासन स्तर पर लंबित आवेदनों पर निगरानी हेतु एक पद्धति की व्यवस्था पर विचार कर सकती है। आगे, आवेदनों के समय पर निपटान हेतु अन्य विभागों के साथ शासन एक प्रभावी समन्वय तत्र भी बना सकती है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि खान एवं खनिज विकास एवं नियामक (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित जनवरी 2015) के अनुसार शासन स्तर पर लंबित समस्त आवेदनों को निरस्त मान्य किया गया है तथा जनवरी 2015 के पश्चात खनि पट्टों का आबंटन ई-आवशन के माध्यम से किया जा रहा है।
4.	राज्य शासन, खनन योजना में परिवर्तन के प्रकरणों में एक संशोधित परिवर्धित एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए खनन पट्टे के निवंधनों और शर्तों में एक उप-खण्ड शामिल करने पर विचार कर सकती है।	शासन द्वारा निर्देश (नवम्बर 2011) जारी किये जा चुके हैं कि खनन योजना में परिवर्तन होने की स्थिति में खनिपट्टेदार द्वारा बढ़े दर पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस देय है।
5.	राज्य शासन, रायल्टी की दरों के विलम्बित प्रकाशन के कारण जब कभी शुल्क में अंतर उत्पन्न होता है वहाँ मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि के भुगतान हेतु पट्टा विलेख में एक उप-खण्ड जोड़ने हेतु विचार कर	शासन द्वारा निर्देश (नवम्बर 2011) जारी किये जा चुके हैं कि, लौह अयस्क के पट्टेदारों द्वारा वचन दिया जाना है कि यदि भारतीय खान व्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा किसी माह का

सं. क्र.	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
	सकती है।	औसत विक्रय मूल्य, पट्टेदार द्वारा पट्टे के क्रियान्वयन किये गये माह के बाद प्रकाशित होती है तो, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में आई अंतर की राशि का भुगतान पट्टेदार द्वारा किया जावेगा।
6.	राज्य शासन, राजस्व की वृद्धि हेतु निष्क्रिय खनिज पट्टों के समय पर निरस्तीकरण सुनिश्चित करने और इन पट्टों के पुनः आबंटन हेतु उचित तंत्र बनाने के लिए विचार कर सकती है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार खनिजपट्टों को लैप्स, शासन द्वारा घोषित दिनांक से ही मान्य किया जा सकता है। खनि पट्टों के लैप्स होने पर खानों का आबंटन संशोधित अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ई-आक्षण द्वारा किया जा रहा है।
7.	नियमों के अनुरूप रायल्टी प्रभारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियाविधि लागू करने पर शासन विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि नियमों के अनुरूप रायल्टी प्रभारित करने हेतु स्पष्ट निर्देश है। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि इसके बावजूद यह सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग के पास काई तंत्र मौजूद नहीं था, क्योंकि रायल्टी के अवरोपण से संबंधित प्रकरण निरंतर देखें गये।
8.	राजस्व की हानि रोकने हेतु मासिक विवरणियों की नियमित जाँच करने के लिए और मिलान संबंधित अभिलेखों से करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि विभागीय कार्यों में दक्षता लाने खनिज आनलाइन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से भविष्य में मासिक पत्रक एवं अभिलेखों का मिलान किया जायेगा जिससे किसी भी प्रकार का राजस्व रिसाव को रोका जा सकेगा।
9.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप उपकर का आरोपण किए जाने हेतु सभी जिला खनिज अधिकारी को निर्देश जारी किए जाने हेतु शासन विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उक्त उपकर की राशि को प्रति माह वसूली किये जाने हेतु नियमों में संशोधन हेतु प्रस्तावित है।
10.	कोर उपभोक्ताओं, नान-कोर उपभोक्ताओं और ई-क्रेताओं को पूर्ति किये गये कोयले की मात्रा और उसकी दर के विवरण को मासिक विवरणी में दर्शायें जाने के संबंध में शासन विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि खनिज ऑनलाइन के क्रियान्वयन पश्चात् विभिन्न उपभोक्ताओं को प्रदाय किये गये कोयले का विवरण दिया जाना संभव होगा।
11.	विभागीय स्तर पर लौह अयस्क के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने तथा खनन योजना में दर्शायी गई श्रेणी की प्रत्येक माह तुलना करने के संबंध में एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार खनन योजना में दर्शायी गई श्रेणी को अंतिम आधार मान्य कर रायल्टी की गणना नहीं की जा सकती।
12.	कोयले के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने पर घोषित श्रेणी में अंतर पाये जाने पर कोयला नियंत्रक को सूचित करने संबंधी एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि कोलरी कंट्रोल आर्डर 2004 में उक्त संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा कोयले के संबंध में ग्रेड के अंतर के प्रकरण देखें गये हैं एवं इस मुद्दे को संबोधित करने हेतु तंत्र विकसित किये जाने की अनुशंसा करती है।
13.	शासन खनन संक्रियाओं का अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कडाई से संचालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने एवं अनाधिकृत खनन का पता लगाने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना पर विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि आई.बी.एम. द्वारा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फार स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जीयॉ-इन्फारमॉटेक्स नामक एक निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिससे खनिजों के अवैध उत्खनन का पता लगाया जा सकेगा।
14.	खनिजों के पट्टा क्षेत्रों से निकासी पश्चात् कैप्टिव संयंत्र में ही उपयोग पर नजर रखने के लिए शासन एक निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि खनिज आनलाइन पद्धति में खनिज के अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ट्रीप क्लोज़ करने की व्यवस्था की गयी है।

सं. क्र.	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
15.	अभिवहन पासों का पुनः उपयोग रोकने के लिए निर्धारण के समय उपयोग में लाये गये अभिवहन पासों को चेकपोर्ट के अभिलेखों से प्रतिसत्यापन किये जाने के लिए शासन एक पद्धति निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि जिलों के खनिज उड्डनदर्शकों को नवीनतम हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे किसी भी जगह आनलाइन से जारी अभिवहन पास की जाँच की जा सकती है।
16.	विभाग उपसंचालक, खनिज प्रशासन/जिला खनिज अधिकारी द्वारा समयबद्ध प्रतिवेदन/विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था पर विचार कर सकता है, जिसमें उन प्रकरणों को इंगित किया जाय जिनमें पर्यावरणीय सम्मती की आवश्यकता हो और पर्यावरणीय सम्मती प्राप्त करने के पश्चात ही खनन संक्रियाएँ होने को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का विकास करना चाहिए।	विभाग द्वारा व्यक्त किया गया खनिज आनलाइन पद्धति में खनिपट्टों में पर्यावरण सम्मति न होने पर अभिवहन पास जारी नहीं होने की व्यवस्था की गयी है।

1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, स्टाम्प तथा पंजीकरण, भू–राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 85 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इसके अलावा खनिज साधन विभाग के आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा माह अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा करों एवं शुल्कों का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 38,881 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 2,913.82 करोड़ की अनियमिततायें देखी गई। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 13,669 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 178.95 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,194 प्रकरणों में राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गयी।

1.7 इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में “मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया” पर एक लेखापरीक्षा सहित 14 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 292.26 करोड़ सम्मिलित है। विभागों द्वारा ₹ 48.75 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए राशि ₹ 4.84 करोड़ की वसूली की गयी। विभागों द्वारा ₹ 238.30 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिये गये, जिसमें से खनिज साधन विभाग के खनिपट्टों के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण (₹ 177.60 करोड़) एवं अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अप्राप्ति/कम प्राप्ति (₹ 42.30 करोड़) सम्मिलित हैं। इसका वर्णन आगामी अध्याय 2 से 5 में किया गया है।

अधिकांश लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऐसे प्रवृत्ति के समान त्रुटियों/लोप को दर्शाते हैं, जो राज्य शासन के विभागों के अन्य वैसे इकाईयों में हो सकते हैं, जिसे नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं किया गया है। शासन/विभागों को अन्य इकाईयों का आंतरिक जाँच कर सुनिश्चित करना चाहिए की विभाग नियमों एवं आवश्यकता अनुसार कार्य कर रही है।

अध्याय—२ः

खनिज प्राप्तियाँ

अध्याय—2: खनिज प्राप्तियाँ

2.1 कर प्रशासन

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 54 (सूची 1) एवं राज्य सूची की प्रविष्टि 23 (सूची 2) के अनुसार खनिज संसाधनों का प्रबंधन केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र शासन ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 (जनवरी 2015 में संशोधित) लागू किया जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त खान एवं खनिजों के विनियमन हेतु कानूनी प्रावधान प्रावधानित करता है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम 1957 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय—समय पर अनेक नियम बनाए गए हैं। केन्द्र शासन ने खनिज रियायत नियम (एम.सी.आर.), 1960 बनाया है। एम.एम.डी.आर., अधिनियम के अंतर्गत गौण खनिज के संबंध में खनि पट्टों के विनियमन एवं खनि पट्टे प्रदान करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य शासन को है। तदनुसार, राज्य शासन द्वारा ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम’ (सी.एम.एम.आर.), 2015 बनाया गया था।

पूर्वेक्षण एवं खनन संक्रियाएं केवल नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञाप्ति या खनि पट्टे के द्वारा ही किया जा सकता है। खनिज प्राप्तियों में मुख्यतः पट्टे/अनुज्ञाप्ति/पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन फीस, रायल्टी, अनिवार्य भाटक¹, सतह कर, जुर्माने एवं दंड, देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि शामिल हैं। खनि पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनिज के प्रेषण के पूर्व रायल्टी देय है।

प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, शासन स्तर पर विभाग प्रमुख है तथा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म (सं.भौ.ख.) विभागीय स्तर पर विभाग प्रमुख है जो खनि अधिनियम एवं नियमों के प्रशासन एवं लागू करने हेतु उत्तरदायी है। संचालनालय के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर में स्थित हैं जो संयुक्त संचालकों के अधीन हैं एवं राज्य में स्थित खनिजों के पूर्वेक्षण, सर्वे एवं नमूनीकरण हेतु जिम्मेदार हैं।

प्रत्येक जिले में जिला खनिज कार्यालय स्थित हैं जो संबंधित जिला कलेक्टर के अधीन हैं। राज्य में 27 उप संचालक खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.) / जिला खनिज अधिकारी (जि. ख.अ.) / सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) हैं जो जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। जिला खनिज कार्यालयों में पदस्थ 50 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) उनके नियंत्रण के अंतर्गत राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण, खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा अन्य गतिविधियाँ जिससे राजस्व की चोरी हो सकती है, को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, खनिजों की चोरी एवं रायल्टी के अपवंचन रोकने के लिए एक उड़नदस्ता है जो संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के प्रति जिम्मेदार है।

¹ अनिवार्य भाटक प्रति वर्ष देय न्यूनतम रायल्टी है। जब देय रायल्टी जमा किये गये अनिवार्य भाटक से ज्यादा हो जाता है, तो पट्टेदार अनिवार्य भाटक की राशि के ऊपर की रकम के लिए रायल्टी देगा।

2.2 आंतरिक नियंत्रण

2.2.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) है जो उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन) के अधीन है तथा इसके अंतर्गत तीन लेखापरीक्षक के पद स्वीकृत हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण तालिका 2.1 में वर्णित है:

तालिका 2.1: आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण

वर्ष	कार्यालयों की कुल संख्या	आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु स्वीकृत पद ²	पदस्थ	लेखापरीक्षा हेतु चयनित कार्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या	जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	राशि (₹)
2012–13	30	04	02	13	10	10	निरंक
2013–14	30	04	02	13	13	13	निरंक
2014–15	30	04	02	07	07	07	निरंक
2015–16	30	04	03	16	16	16	निरंक
2016–17	30	04	03	14	14	14	निरंक
योग				63	60	60	निरंक

(स्रोत: संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

यद्यपि आं.ले.इ. में कर्मचारियों की कमी थी, वर्ष 2013–14 से आगे के वर्षों में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी एवं वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में कुल 60 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ³ जिलों में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से वर्ष 2012–13 एवं 2016–17 के मध्य मुख्य खनिजों तथा गौण खनिजों में लंबित निर्धारण के प्रकरणों को इंगित किया था। इंगित किये जाने के बावजूद उप संचालक (खनि प्रशा.) / जिला खनिज अधिकारियों द्वारा लंबित निर्धारण के प्रकरणों को पूर्ण करने हेतु कोई उपाय नहीं किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की निगरानी उप संचालक (वित्त) द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही आं.ले.इ. द्वारा आपत्तियों को इंगित किया जाता था उन्हें स्थल पर ही सुधार कर लिया जाता था।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि नमूना परीक्षित नौ जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य खनिज के 90 प्रकरणों में निर्धारण नहीं किया गया था।

2.2.2 खनिज निरीक्षकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

सं.भौ.ख. के द्वारा मई 2008 को जारी निर्देश के अनुसार खनिज निरीक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र के अधीन मुख्य एवं गौण खदानों का प्रत्येक छः माह में एक बार यह सुनिश्चित

² उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन) सहित

³ उ.सं.ख.प्र. कोरबा एवं रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कांकेर और सरगुजा

करने के लिए निरीक्षण करना है कि खनन पट्टे में वर्णित नियम एवं शर्तों का पालन किया जा रहा है, जैसे पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य न हो, खान के अंदर कार्यरत मजदूरों की संख्या, अभिलेख संतोषप्रद तरीके से संधारित किए जा रहे हों, प्रतिदिन उत्पादित खनिज की मात्रा एवं पट्टा क्षेत्र का उचित सीमांकन किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत पद में कमी देखी जैसा कि तालिका 2.2 में वर्णित है:

तालिका 2.2
खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों का विवरण

वर्ष	खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	
			संख्या	प्रतिशत
2012–13	21	14	7	33.33
2013–14	21	14	7	33.33
2014–15	23	15	8	34.78
2015–16	23	18	5	21.74
2016–17	23	20	3	13.04

लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत पदों की कमी के अलावा विद्यमान खनिज निरीक्षकों ने पर्याप्त संख्या में निरीक्षण नहीं किया। नमूना परीक्षित नौ⁴ उ.सं.ख.प्र. /जि.ख.अ. की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में खनि पट्टों के संदर्भ में लक्ष्य के विरुद्ध केवल 37 से 53 प्रतिशत (886 में से 369) एवं उत्थनि पट्टों के संदर्भ में 18 से 39 प्रतिशत (7,988 में से 2,061) पट्टों का निरीक्षण किया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

2.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा द्वारा खनिज साधन विभाग की 17 इकाईयों में से नौ⁵ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इसके अलावा अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य आठ⁶ जिला खनिज कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा क्रमशः राशि ₹ 3,709.52 करोड़ तथा ₹ 4,141.47 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जिसमें लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा क्रमशः राशि ₹ 569.36 करोड़ तथा ₹ 3,228.45 करोड़ संग्रहीत की गयी। लेखापरीक्षा ने 1,819 प्रकरणों में राशि ₹ 2,616.51 करोड़ की अनियमिततायें पायी, जिसका विवरण तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	रायल्टी एवं ब्याज का निर्धारण न करना/अवनिर्धारण	38	32.51
2.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/न्यून आरोपण	106	5.14

⁴ उ.सं.ख.प्र. कोरबा एवं रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कांकेर एवं सरगुजा

⁵ जि.ख.अ., बालोद, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा एवं सं.भौ.ख., रायपुर

⁶ उ.सं.ख.प्र. कोरबा और रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा एवं कांकेर

3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का न्यून आरोपण/कम वसूली	60	48.08
4.	खनन पट्टे के अधीन भूमि पर भू-राजस्व का अनारोपण	780	158.37
5.	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की योगदान राशि की कम वसूली	41	13.74
6.	अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि की अवसूली/कम वसूली	328	86.66
7.	अन्य अनियमिततायें ⁷	466	2,272.01
योग		1,819	2,616.51

विभाग ने 321 प्रकरणों में राशि ₹ 41.40 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की एवं दो प्रकरणों में राशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली की। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा, विभाग के साथ प्रकरणों का अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग ने पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 12 प्रकरणों में राशि ₹ 1.04 करोड़ की वसूली की। वसूली की गयी राशि में से राशि ₹ 1.01 करोड़ वर्ष 2011–12 के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

2.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने नौ कंडिकाओं में राशि ₹ 22.26 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था, जिसके विरुद्ध विभाग ने राशि ₹ 14.94 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार कीं तथा राशि ₹ 2.86 लाख की वसूली की। इन नौ कंडिकाओं में से तीन कंडिकाओं का चयन लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा किया गया जिसमें से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 की एक कंडिका पर अगस्त 2017 में चर्चा की गयी।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए 'स्टैण्ड अलोन' प्रतिवेदन में समिलित 'मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण' पर संपादन निष्पादन लेखापरीक्षा में पट्टों का अनियमित प्रबंधन, अवैध उत्खनन, रायल्टी का निर्धारण न होना / अवनिर्धारण एवं संग्रहण, परिवहन पास का दुरुपयोग, आदि का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति में चर्चा किया जाना शेष है।

लोक लेखा समिति ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के संबंध में वर्ष 2011–12 में (93वाँ अनुशंसा) विभाग को अनुशंसा एवं निर्देश दिया है कि विभाग उन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे तथा चेतावनी जारी करे जो नियमों एवं प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं ताकि खदानों के निष्क्रिय होने की पुनरावृत्ति न हो।

खनिज साधन विभाग द्वारा सूचित किया (सितम्बर 2018) गया कि लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं एवं निर्देशों के परिपालन में खदानों के निष्क्रिय होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी की गयी है। परन्तु विभाग ने खदान निष्क्रिय न हो इस संबंध में कोई तंत्र विकसित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ इकाईयों⁸ में 30 खदानें निष्क्रिय थीं (31 मार्च 2017 की स्थिति में)।

⁷ अन्य अनियमितताओं में सतह कर की वसूली न होना, भंडारण अनुज्ञाप्ति के लिए वार्षिक फीस की अवसूली आदि समिलित है।

⁸ उ.सं.ख.प्र. कोरबा एवं रायगढ़; जि.ख.आ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कांकेर और सरगुजा।

2.5 मिडलिंग एवं रिजेक्ट के बीजक मूल्य पर रायल्टी का अनारोपण

सं.भौ.ख. द्वारा कोयला /मिडलिंग /रिजेक्ट के विक्रय मात्रा, ग्रेड एवं बीजक मूल्य प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली सुनिश्चित न किये जाने से रायल्टी की राशि ₹ 9.86 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

एम.सी.आर., 1960 प्रावधानित करता है कि जब कभी भी मिडलिंग⁹ एवं रिजेक्ट पट्टा क्षेत्र से विक्रय या बाद की तिथि में उपयोग किये जाएंगे उन पर रायल्टी का भुगतान देय होगा। भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 10 मई 2012 के अनुसार कोयले पर मूल्यानुसार बीजक में अंकित कोयले के विक्रय मूल्य पर, कर को छोड़कर, 14 प्रतिशत की दर से रायल्टी देय होगी। आगे, एम.सी.आर., 1960 के अंतर्गत रायल्टी के विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय है।

कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) ने उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के अंतर्गत मे. सारडा एनर्जी एवं इंडस्ट्रीज को केवल स्पंज आयरन प्लांट एवं कैप्टिव पावर प्लांट में कैप्टिव प्रयोजन हेतु कोल ब्लॉक¹⁰ आबंटित किया (दिसम्बर 2003)। पट्टेदार द्वारा कोल वॉशरी की स्थापना की गयी एवं वॉश कोल का कैप्टिव उपयोग किया गया। तत्पश्चात्, भारत सरकार ने पट्टेदार को 4.96 लाख मैट्रिक टन तक मिडलिंग तथा 1.35 लाख मैट्रिक टन तक रिजेक्ट बेचने की अनुमति दी (फरवरी 2014), जिसके बाद पट्टेदार ने मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य राशि ₹ 1,595/- से ₹ 2,000/- एवं ₹ 895/- से ₹ 1,000/- प्रति मैट्रिक टन तक मूल्य के मिडलिंग एवं रिजेक्ट बेचे।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ में उपलब्ध मासिक पत्रकों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टेदार ने मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य 15.80 लाख मैट्रिक टन कोयला, जिसमें मिडलिंग, रिजेक्ट, वाशड कोल एवं आर.ओ.एम.¹¹ शामिल थे, का प्रेषण किया (कैप्टिव खपत एवं विक्रय दोनों के लिए)। पट्टेदार ने संपूर्ण कोयले की मात्रा को आर.ओ.एम. मानकर (जैसे नियमों में प्रावधानित है) ग्रेड¹² के अनुसार (उक्त स्थल के लिए कोयला नियंत्रक द्वारा जी-12, जी-14 एवं जी-17 के रूप में घोषित) आधार मूल्य क्रमशः राशि ₹ 890, ₹ 740 एवं ₹ 540 प्रति मैट्रिक टन रायल्टी का भुगतान किया। प्रेषित मात्रा में 4.87 लाख मैट्रिक टन मिडलिंग एवं 1.24 लाख मैट्रिक टन रिजेक्ट शामिल थे जिन्हें विभिन्न फर्मों को बेचा गया (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य)। यद्यपि मासिक पत्रकों में पट्टेदार ने मिडलिंग एवं रिजेक्ट की मात्रा को दर्शाया, पट्टेदार ने मिडलिंग एवं रिजेक्ट के विक्रय मूल्य को नहीं दर्शाया क्योंकि मासिक पत्रक के प्रारूप के अनुसार इसे दर्शाया जाना आवश्यक नहीं था। परिणामस्वरूप, उ.सं.ख.प्र. ने मिडलिंग एवं रिजेक्ट के वास्तविक विक्रय मूल्य के आधार पर रायल्टी की गणना न कर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित आर.ओ.एम. के आधार मूल्य के अनुसार रायल्टी की गणना की।

कूंकि मिडलिंग एवं रिजेक्ट के विक्रय मूल्य की जानकारी उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ में उपलब्ध नहीं थी तथा अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किया गया, लेखापरीक्षा ने उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ में उपलब्ध माह अक्टूबर 2014 के विक्रय मूल्य को विक्रय किये गये मिडलिंग एवं रिजेक्ट के देय रायल्टी निर्धारण के लिए लागू किया। लेखापरीक्षा ने 6.11

⁹ मिडलिंग/रिजेक्ट कोयला, कोयले के धुलाई/बेनेफिशिएशन प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं।

¹⁰ गारे पल्मा IV/7 कोल ब्लॉक 335.76 हेक्टेयर क्षेत्र में, पट्टा अवधि 25.10.2005 से 24.10.2035

¹¹ कोयला जो सीधे खान से निकलते हैं। जबकि अधिकतर आर.ओ.एम. की धुलाई की जाती है तथा मिडलिंग और रिजेक्ट को अलग किया जाता है, कुछ आर.ओ.एम. कच्चे रूप में भी प्रेषित किये जाते हैं।

¹² कोयले को कैलोरिफिक मूल्य के आधार पर जी-1 से जी-17 के पैमाने पर ग्रेडिंग किया जाता है; जी-1 उच्चतम ग्रेड का होता है तथा जी-17 निम्नतम ग्रेड का होता है।

लाख¹³ मैट्रिक टन मिडलिंग एवं रिजेक्ट पर कुल देय रायल्टी की राशि ₹ 13.04 करोड़ की गणना की। फर्म ने इन्हें आर.ओ.एम. मानकर पहले ही राशि ₹ 6.19 करोड़¹⁴ के रायल्टी का भुगतान किया था। इस प्रकार, उ.सं.ख.प्र. द्वारा विक्रय किये गये मिडलिंग एवं रिजेक्ट को आर.ओ.एम. मानकर निर्धारण (अप्रैल 2015) किये जाने से रायल्टी की राशि ₹ 6.85 करोड़ का कम निर्धारण हुआ साथ ही उसपर राशि ₹ 3.01 करोड़¹⁵ का ब्याज भी वसूलनीय था।

मार्च 2015 में पट्टेदार ने कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) को पट्टा समर्पण कर दिया। मार्च 2015 के मासिक पत्रक के अनुसार, खदान में 4.12 लाख मैट्रिक टन कोयला शेष था, जिसे बाद में या तो बेचा गया या कोल नियंत्रक की अनुमति से अन्य संयंत्र को स्थानांतरित किया गया।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि जून 2014 और मार्च 2014 में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर एवं केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केन्द्र (सी.आई.एम.एफ.आर.), बिलासपुर द्वारा किये गये रासायनिक विश्लेषण के अनुसार मिडलिंग एवं रिजेक्ट जी-17 से जी-15, अर्थात् ग्रेड कोयले थे। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान कोयला के जी-15 ग्रेड के आधार मूल्य राशि ₹ 680 प्रति मैट्रिक टन से बहुत अधिक दर में राशि ₹ 2,000 प्रति मैट्रिक टन की दर से मिडलिंग बेची जो यह दर्शाता है कि मिडलिंग वास्तव में उच्च ग्रेड कोयले थे। अतः कोयला, जिसे मिडलिंग/रिजेक्ट कहा गया था, वास्तव में मिडलिंग/रिजेक्ट नहीं थे बल्कि ग्रेड कोयले थे। इस प्रकार, मिडलिंग एवं रिजेक्ट की आड़ में ग्रेड कोयले की बिक्री की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 मई 2012 के बाद, राज्य सं.भौ.ख. को अलग मासिक पत्रक शुरू करके (क्योंकि मौजूदा मासिक पत्रक में बीजक मूल्य दर्शित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था) या कुछ अन्य विधि/प्रणाली अपनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी पट्टेदार किसी भी समय बेचे गये कोयले/मिडलिंग/रिजेक्ट की मात्रा एवं बीजक मूल्य प्रस्तुत करें।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017) और कहा कि बीजक में दर्शाये गये आधार मूल्य के 14 प्रतिशत की दर के आधार पर मिडलिंग और रिजेक्ट पर रायल्टी का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। विभाग ने अवधि 2012–13 से 2015–16 के लिए निर्धारण किया और रायल्टी की राशि ₹ 1.43 करोड़ की वसूली की (मई 2018)। लेखापरीक्षा ने रायल्टी की गणना के सत्यापन के लिए माहवार निर्धारण विवरण की मांग की, जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया (अगस्त 2018)।

अनुशंसा:

विभाग (i) लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत करे, (ii) मासिक पत्रक के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार करे ताकि मासिक पत्रक में विक्रय किये गये मिडलिंग/रिजेक्ट कोयले की मात्रा और मूल्य का विवरण भी दर्शाया जा सके, (iii) बीजक में दर्शाये गये आधार मूल्य पर लागू दरों के अनुसार रायल्टी की वसूली सुनिश्चित करे।

¹³ 4.87 लाख मैट्रिक टन मिडलिंग और 1.24 लाख मैट्रिक टन रिजेक्ट = 6.11 लाख मैट्रिक टन

¹⁴ औसत रायल्टी = ₹ 124.6 (जी-12) + ₹ 103.6 (जी-14) + ₹ 75.6 (जी-17) / 3 = ₹ 101.27;
6.11 लाख मैट्रिक टन x ₹ 101.27 = ₹ 6.19 करोड़

¹⁵ देय ब्याज = ₹ 6.85 करोड़ x 22 / 12 (माह) x 0.24 (ब्याज दर) = ₹ 3.01 करोड़

2.6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

चार प्रकरणों में खनन योजना के पुनरीक्षण या आई.बी.एम. द्वारा बाद में औसत विक्रय मूल्य घोषित करने पर अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की राशि ₹ 19.45 करोड़ की वसूली करने में जि.ख.अ. विफल रहे।

मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1993) के अनुसार, जैसा कि छत्तीसगढ़ में लागू है, मुद्रांक शुल्क (मु.श.) एवं पंजीयन फीस (पं.फी.)¹⁶ की गणना आवेदन पत्र में दिये गये दर्शित उत्पादन की मात्रा या खनन योजना में दिए गए अनुमानित उत्पादन की मात्रा, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन का आदेश (नवंबर 2011) प्रावधानित करता है कि यदि पट्टेदार पट्टे के करारनामे के निष्पादन के पश्चात् खनन योजना संशोधित करता है तो नई उत्खनन योजना के अनुसार अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का भुगतान करेगा। आगे, लौह अयस्क के प्रकरण में, पट्टेदार को भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा किसी माह के औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित करने पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि के भुगतान हेतु वचन देना चाहिए।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच में चार प्रकरणों में राशि ₹ 19.45 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण पाया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(i) जि.ख.अ., कांकेर के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2017) में पाया गया कि मार्च 2016 में खनन योजना के संशोधन के पश्चात्, एक पट्टेदार मे. बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि., द्वारा मु.श. की राशि ₹ 2.16 करोड़¹⁷ एवं पं.फी. की राशि ₹ 1.62 करोड़¹⁸ का भुगतान किया जाना था। तथापि, जि.ख.अ. संशोधित खनन योजना के अनुसार मु.श. की राशि ₹ 79.03 लाख एवं पं.फी. की राशि ₹ 59.27 लाख के अंतर की राशि हेतु पट्टेदार को मांगपत्र जारी करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, मु.श. एवं पं.फी. की राशि ₹ 1.38 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

(ii) जि.ख.अ., कांकेर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो¹⁹ खनि पट्टेदारों के प्रकरण में तीन पट्टा करारनामा संपादित किया गया (अक्टूबर 2014 एवं अगस्त 2016), जिसमें विगत माह के रायल्टी की उपलब्ध दर के आधार पर खनन योजना में वर्णित लौह अयस्क के अनुमानित उत्पादन 13.49 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष पर मु.श. की राशि ₹ 9.99 करोड़ एवं पं.फी. की राशि ₹ 7.66 करोड़ का भुगतान किया। तथापि, आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य के आधार पर मु.श. की राशि ₹ 20.41 करोड़ एवं पं.फी. की राशि ₹ 15.31 करोड़ आरोपणीय था। तथापि, जिला खनिज अधिकारी मु.श. एवं पं.फी. के अंतर की राशि के लिए मांगपत्र जारी करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप मु.श. एवं पं.फी. की राशि ₹ 18.07 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

¹⁶ मु.श. भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर लागू दर से आरोपणीय है। पं.फी., मु.श. के 75 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है।

¹⁷ पांच वर्ष के लिए औसत वार्षिक उत्पादन = 18,38,481 मैट्रिक टन / 5 = 3,67,696 मैट्रिक टन; मु.श. = 3,67,696 मैट्रिक टन x ₹ 235 (रायल्टी की दर) x 5 गुणा x 5 प्रतिशत (मु.श. की दर) = ₹ 2,16,02,140

¹⁸ पं.फी. = ₹ 2,16,02,140 x 75 प्रतिशत = ₹ 1,62,01,605

¹⁹ मे. गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड (138.96 हेक्टेयर, 50 वर्ष के लिए पट्टा); मे. जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमि. (25 हेक्टेयर, 50 वर्ष के लिए पट्टा और 14.40 हेक्टेयर, 30 वर्ष के लिए पट्टा)

2.7 अनिवार्य भाटक की अवसूली/कम वसूली

आठ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. की मांग एवं वसूली पंजी की समीक्षा और मांग पत्र जारी करने में विफलता के कारण 36 खनि/उत्थनि पट्टेदारों से अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 1.07 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 तथा सी.एम.एम.आर., 2015 के अनुसार खनि तथा उत्थनि पट्टेदारों को पूरे वर्ष के लिए अग्रिम में अनिवार्य भाटक का भुगतान करना है, जिसमें विफल होने पर देय तिथि की समाप्ति के साठ दिन के बाद 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।

आठ²⁰ जिला खनिज कार्यालयों में पट्टा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 196 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में खनि/उत्थनि पट्टेदारों ने वर्ष 2011 से 2017 के लिए राशि ₹ 47.41 लाख के अनिवार्य भाटक का भुगतान नहीं किया। इसी तरह, अन्य 18 पट्टेदारों ने वर्ष 2012 से 2017 के लिए अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 40.14 लाख का कम भुगतान किया। उक्त राशि पर मार्च 2017 तक ब्याज की राशि ₹ 19.78 लाख देय थी। उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. की समय-समय पर मांग और वसूली पंजी (खतौनी) की समीक्षा करने एवं देय राशि एवं ब्याज की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने में विफलता के कारण अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 1.07 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

2.8 खनन पट्टे के अधीन भूमि पर भू-राजस्व का अनारोपण

सात उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने 694 खनि पट्टों पर अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के लिए राशि ₹ 177.60 करोड़ के भू-राजस्व का आरोपण नहीं किया।

छत्तीसगढ़ खनन पट्टे, खदान पट्टे के अधीन भूमि पर निर्धारण नियम, 1987 (दिसंबर 2011 में संशोधित) के अनुसार खनन पट्टे के अधीन भूमियों पर राशि ₹ 1,000 और ₹ 25,000 के मध्य विभिन्न दरों पर भू-राजस्व देय है।

सात जिलों²¹ में खनि एवं उत्थनि पट्टा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के लिए 694 खनि/उत्थनि पट्टों के अधीन भूमियों पर भू-राजस्व का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप, भू-राजस्व की राशि ₹ 177.60 करोड़ की अवसूली हुई।

खनिज साधन विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि चूंकि यह भू-राजस्व का मुद्दा था, मामला राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार खनिज साधन विभाग खनन क्षेत्रों के अधीन भूमि से भू-राजस्व की राशि एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था।

अनुशंसा:

खनिज साधन विभाग सभी जिलों में खनन क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि से भू-राजस्व के संग्रहण करने हेतु समीक्षा करे।

²⁰ बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ एवं सरगुजा (अंबिकापुर)

²¹ बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ एवं सरगुजा (अंबिकापुर)

2.9 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) में योगदान की राशि की कम वसूली

पांच उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने एन.एम.ई.टी. के लिए वसूलनीय राशि ₹ 21.73 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 15.67 की वसूली की, जिसके कारण राशि ₹ 6.06 करोड़ की कम वसूली हुई।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 (जनवरी 2015 में संशोधित) यह प्रावधानित करता है कि खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति-सह-खनन पट्टा धारक रायल्टी की राशि के दो प्रतिशत के बराबर ट्रस्ट को भुगतान करेगा। अगस्त 2015 में भारत सरकार द्वारा ट्रस्ट की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद, सं.भौ.ख. ने कलेक्टरों को भूतलक्षी प्रभाव से जनवरी 2015 से ट्रस्ट को राशि भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (फरवरी 2016)।

पाँच²² उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जनवरी 2015 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान मुख्य खनिजों से रायल्टी के रूप में राशि ₹ 1,086.64 करोड़ की प्राप्ति हुई। रायल्टी के दो प्रतिशत एन.एम.ई.टी. की राशि ₹ 21.73 करोड़ के विरुद्ध केवल राशि ₹ 15.67 करोड़ की वसूली हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रस्ट के लिए राशि ₹ 6.06 करोड़ की कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

2.10 अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली/कम वसूली

सात उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने उत्खनि एवं खनि पट्टों से अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 42.30 करोड़ की अवसूली/कम वसूली की।

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा के अधीन भूमि पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर देय है जो कोयला खनि पट्टा के लिए प्रत्येक टन वार्षिक प्रेषण पर पांच रुपये की दर से और गौण खनिज पट्टों के लिए 15 जून 2015 तक रायल्टी की राशि का पांच प्रतिशत तथा 16 जून 2015 से 7.5 प्रतिशत की दर से देय है।

अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली पर एक कंडिका वर्ष 2012 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 4 में शामिल किया गया था। इसके बाद, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (आर.डी.एम.) विभाग ने सचिव, खनिज साधन विभाग को स्पष्ट किया (फरवरी 2016) कि अधिनियम के अनुसार उपकर का आरोपण उत्खनि पट्टों से भी किया जाना चाहिए।

खनिज साधन विभाग में खनिज के प्रेषण एवं देय रायल्टी का विवरण संधारित होता है एवं उपकर खनिज के प्रेषण/रायल्टी पर देय है। इस प्रकार, स्पष्टीकरण पत्र के बाद सं.भौ.ख. को आर.डी.एम. विभाग से समन्वय से उपकर की वसूली हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए थी।

सात जिलों²³ में खनि पट्टा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संबंधित उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. 2012–13 से 2016–17²⁴ की अवधि के दौरान उत्खनि पट्टों से रायल्टी की राशि ₹ 363.55 करोड़ पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की

²² उ.सं.ख.प्र. बलौदाबाजार, रायगढ़ एवं जि.ख.अ. बलरामपुर, कांकेर एवं सरगुजा (अंविकापुर)

²³ सरगुजा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़

²⁴ बलौदाबाजार एवं जांजगीर-चांपा को छोड़कर जहां वर्ष 2016–17 में राशि ₹ 1.81 करोड़ की वसूली की गयी

राशि ₹ 41.90 करोड़ की वसूली करने में विफल रहे। इसके अलावा, उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के खनि पट्टों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि मुख्य खनि पट्टे की समाप्ति के समय एक पट्टेदार²⁵ ने अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 11.19 लाख का भुगतान नहीं किया। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार ने अप्रैल 2015 एवं जून 2015 के मध्य 2.89 लाख मैट्रिक टन अंतिम स्टॉक का प्रेषण किया। तथापि उ.सं.ख.प्र. अंतिम स्टॉक के प्रेषण पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 28.95 लाख तथा बकाया की राशि ₹ 11.19 लाख की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप उपकर की राशि ₹ 42.30 करोड़ की कम वसूली हुई।

खनिज साधन विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि मामला आर.डी.एम. विभाग से संबंधित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनिज साधन विभाग के पास एक पट्टेदार के संबंध में प्रेषित खनिजों की मात्रा और भुगतान की गयी रायल्टी का विवरण रहता है। चूंकि अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि खनिज के प्रेषण एवं रायल्टी पर देय है, इसलिए विभाग प्रभावी ढंग से उपकर की राशि की वसूली कर सकता है। आगे, मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कंडिका 4.3 के जवाब में सचिव, खनिज साधन विभाग ने राज्य लोक लेखा समिति को अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर के आरोपण एवं वसूली हेतु आश्वासन दिया था (फरवरी 2016)।

²⁵ मे. सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

अध्याय—३ः


वाणिज्यिक कर

अध्याय 3: वाणिज्यिक कर

3.1 कर प्रशासन

आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु चार अतिरिक्त आयुक्त (अति. आयुक्त), 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में निहीत किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में आठ उ.आ., 25 स.आ., 50 वा.क.अ., 47 स.वा.क.अ. एवं 100 वा.क.नि. वर्ममान में कार्यरत हैं। विभाग का संगठनात्मक संरचना चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक संरचना



वाणिज्यिक करों की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के कुल 54 इकाईयों में से 13¹ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा कुल ₹ 9,956.64 करोड़ अर्जित की गई, जिसमें से लेखापरीक्षित किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 2,028.11 करोड़ संग्रहण किया गया। इसके साथ अप्रैल 2017 एवं जून 2017 के मध्य “मूल्य संबंधित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया” पर एक लेखापरीक्षा भी संपन्न किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 301 प्रकरणों में राशि ₹ 35.34 करोड़ की अनियमितायें देखी गई, जो कि तालिका 3.1 में उल्लेखित श्रेणियों में वर्णित है:

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मूल्य संबंधित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया	1	8.30
2.	कर का अवरोपण /अनारोपण	105	10.57
3.	छूट /कमी का गलत प्रदान किया जाना	51	9.45
4.	कर के दर का गलत अनुप्रयोग	15	4.80
5.	करयोग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण	6	0.80
6.	अन्य अनियमितायें ²	123	1.42
	योग	301	35.34

विभाग द्वारा 50 प्रकरणों में राशि ₹ 4.86 करोड़ के अवरोपण को स्वीकार करते हुए चार प्रकरणों में ₹ 11.17 लाख की वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा, विभाग के साथ प्रकरणों का अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा पूर्व के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के 63 प्रकरणों में राशि ₹ 1.27 करोड़ की वसूली की गयी। वसूल की गई राशियों में से राशि ₹ 71.38 लाख वर्ष 2011–12 के पूर्व के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित है।

वर्ष 2016–17 में 10 प्रारूप कंडिकाओं में सम्मिलित 101 प्रकरणों को जारी किये जाने उपरान्त विभाग द्वारा 38 प्रकरणों के कर अवरोपणों में सम्मिलित राशि ₹ 4.20 करोड़ को स्वीकारते हुए सात प्रकरणों में राशि ₹ 8.62 लाख की वसूली की गयी।

3.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2011–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 36 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 52.46 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 16.64 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 1.16 करोड़ की वसूली की गयी।

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्ष 2002–16) के चर्चा हेतु 30 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा (वर्ष 2010–16) नौ कंडिकाओं पर

¹ स.आ. रायपुर, राजनांदगांव; स.आ–1, संभाग–1, बिलासपुर; स.आ–2, संभाग–1, बिलासपुर; आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर; वा.क.आ., अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, दुर्ग– वृत्त 1, रायपुर– वृत्त 1, 2, 5, 8 एवं 9

² अन्य अनियमितायें में सम्मिलित है अधिक/अस्थीकार्य आगत कर रिबेट; आवर्त्त में क्रेडिट नोट या छूट प्राप्त को सम्मिलित न किया जाना; श्रम घटक का सम्मिलित न किया जाना।

अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि सिर्फ तीन कंडिकाओं पर ही कार्यवाही टीप प्राप्त हुई है।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.4) पर लोक लेखा समिति द्वारा 26 मार्च 2015 (22वां प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि विभाग उन प्रकरणों में, जहाँ फार्म 'एफ' के संदेहास्पद सत्यता के आधार पर कर छूट लिये/प्रदान किये गये थे, में त्वरित कार्यवाही कर, कर वसूल करें। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया (मार्च 2017)।

यद्यपि विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 7.13 पर लोक लेखा समिति की अनुशंसा (81वां प्रतिवेदन, 2010–11) पर आवर्त्त के गलत निर्धारण के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई परन्तु समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं की गई, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा आवर्त्त के गलत गणना के छः प्रकरण पाये गये (वर्ष 2016–17)।

अनुशंसा:

विभाग सुनिश्चित कर कि जिन पूर्व प्रकरणों में लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा दी जा चुकी हो, ऐसे प्रकरणों में समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

3.4 'मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया' पर लेखापरीक्षा

3.4.1 परिचय

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम) 2005 प्रावधानित करता है कि यदि आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष के लिए किसी व्यवसायी द्वारा या उसकी ओर से चुकाया गया कर या शास्ति या दोनों या ब्याज, उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या देय ब्याज की रकम से अधिक होती है, तो वह ऐसी रकम जिसका कि अधिक भुगतान किया जाना पाया जाए, या तो नकदी में या व्यवसायी से किसी अन्य वर्ष के संबंध में शोध्य कर की रकम के मद्दे ऐसे आधिक्य का समायोजन करके विहित रीति में, प्रतिदाय करेगा। अगर आगत कर रिबेट की राशि असमायोजित रहती है एवं व्यवसायी द्वारा ऐसी राशि का प्रतिदाय हेतु आवेदन करता है तो, कर निर्धारण आवेदन देने के एक वर्ष के भीतर किया जायगा एवं ऐसी राशि प्रतिदाय के रूप में भुगतान किया जा सकेगा।

3.4.2 प्रतिदाय की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा

विभाग के विभिन्न अधिकारियों के प्रतिदाय की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा का विवरण नीचे दर्शित है:

तालिका 3.2: प्रतिदाय की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा

स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी	प्रतिदायों की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा (अप्रैल 2012 से मार्च 2014)	प्रतिदायों की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा (अप्रैल 2014 से जून 2016)	प्रतिदायों की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा (जुलाई 2016 से आज दिनांक तक)
वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.)	₹ 2 लाख तक	₹ 5 लाख तक	₹ 2 लाख तक
सहायक आयुक्त (स.आ.)	₹ 2 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 5 लाख से अनधिक	₹ 5 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 10 लाख से अनधिक	₹ 2 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 5 लाख से अनधिक

उपायुक्त (उ.आ.)	₹ 5 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 15 लाख से अनधिक	₹ 10 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 25 लाख से अनधिक	₹ 5 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 10 लाख से अनधिक
अतिरिक्त आयुक्त (अति. आ.)	₹ 15 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 25 लाख से अनधिक	₹ 25 लाख से ऊपर किन्तु ₹ 1 करोड़ से अनधिक	जुलाई 2016 के उपरांत प्रतिदाय की स्वीकृति की शक्ति हटा ली गई
आयुक्त	₹ 25 लाख से ऊपर	₹ 1 करोड़ से ऊपर	राशि ₹ 10 लाख से ऊपर की प्रतिदाय एक समिति जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (तकनीकी), सहायक आयुक्त (तकनीकी) एवं एक चार्टड एकाउन्टेंट को सम्मिलित कर नियमानुसार जाँच किये जाने के बाद

3.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या:

- प्रतिदाय की प्रणाली प्रभावी और कुशल है;
- प्रतिदाय से संबंधित समयबद्धता एवं सटीकता, नियम एवं प्रक्रिया अनुसार, जैसा की अधिनियम, नियम एवं दिशानिर्देशों में विहित है, का पालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा है; तथा
- प्रतिदायों के लिए निर्धारित अवरोधकारी और जाँच के त्वरित अभ्यास के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली अस्तित्व में था।

3.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों के प्रावधानों को लेखापरीक्षा मापदण्ड हेतु स्त्रोत के रूप में प्रयोग किया गया था:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 (छ.ग.मू.सं.क. नियम);
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क. अधिनियम);
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957; एवं
- राज्य शासन एवं विभागों द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

3.4.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं प्रक्रिया

लेखापरीक्षा का आयोजन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा 1 अप्रैल 2012 एवं 31 मार्च 2017 के मध्य स्वीकृत किये गये प्रतिदाय प्रकरणों³ की जाँच किये जाने हेतु किया गया। कुल

³ वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक के प्रतिदाय प्रकरणों का निराकरण न होने के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2012–13 तक के प्रतिदाय प्रकरणों की जाँच की जा सकी।

56 इकाईयों में से 11⁴ इकाईयों का चयन (बिना प्रतिस्थापन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना के आधार पर)⁵ किया गया जो कि कुल इकाईयों का 20 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा कार्य के द्वारा मुख्य तौर पर यह सुनिश्चित किया जाना था कि क्या विभाग में निर्मित प्रतिदाय की प्रणाली एवं प्रक्रिया राजस्व के रिसाव रोकने हेतु पर्याप्त एवं परिपूर्ण है। लेखापरीक्षा द्वारा स्व-कर निर्धारण एवं कर निर्धारणों प्रकरणों का परीक्षण इस हेतु सुनिश्चित किया गया कि क्या प्रतिदाय एवं आगत कर रिबेट (आ.क.रि.) का अग्रणित सही किया गया है। अवधि के दौरान विभाग ने 12,431 प्रतिदाय प्रकरणों का निराकरण किया। लेखापरीक्षा ने 11 नमूना जाँच इकाईयों में कुल 2,953 प्रकरणों में से 1,325 प्रकरणों की जाँच की, जो कि नमूना जाँच इकाईयों का 44.87 प्रतिशत एवं कुल प्रतिदाय प्रकरणों का 10.65 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड, कार्य क्षेत्र एवं प्रक्रिया पर चर्चा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग से दिनांक 02 मई 2017 को आयोजित आगमन सम्मेलन में हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन दिनांक 03 जनवरी 2018 को हुआ जहाँ पर लेखापरीक्षा परिणामों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। बहिर्गमन सम्मेलन में चर्चा के दौरान विभाग से प्राप्त उत्तर/अभिमतों को संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

3.4.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा को समय पर वांछनीय जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक कर विभाग के सहयोग की अभिस्वीकृति की जाती है।

3.4.7 राजस्व प्राप्ति एवं प्रतिदाय की प्रवृत्ति

वर्ष 2012–13 एवं 2016–17 के मध्य मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) की वास्तविक प्राप्ति तालिका 3.3 में वर्णित है:

तालिका 3.3: राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)			
वर्ष	मू.सं.क. के अंतर्गत प्राप्तियाँ	के.बि.क. के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ
2012–13	6,072.77	855.88	6,928.65
2013–14	7,001.34	928.17	7,929.51
2014–15	7,495.75	932.36	8,428.11
2015–16	7,997.04	911.32	8,908.36
2016–17	9,012.96	914.25	9,927.21

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

कुल संग्रहीत राजस्व में 89 प्रतिशत मू.सं.क. से एवं 11 प्रतिशत के.बि.क. से प्राप्त हुआ।

⁴ उपायुक्त, दुर्ग; स.आ.–1, दुर्ग, स.आ., कोरबा, स.आ.–3 रायपुर, स.आ.–5, रायपुर; वा.क.अ.–2, दुर्ग, वा.क.अ.–1, रायगढ़, वा.क.अ.–2, रायपुर, वा.क.अ.–3, रायपुर, वा.क.अ.–4, रायपुर एवं वा.क.अ.–8, रायपुर (उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी इकाईयों को प्रतिदाय मूल्य के घटते क्रम में पृथक–पृथक मानकर किया गया)

⁵ बिना प्रतिस्थापन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना में डाटा के समान लक्षण के आधार पर छोटे समूहों, या स्तरों में बांटा जाता है। यादृच्छिक नमूना प्रत्येक समूह से समूह के आकार अनुसार अनुपात में बिना नमूना की पुनरावृत्ति (बिना प्रतिस्थापन) किये चयन किया जाता है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के मध्य कुल प्राप्त प्रतिदाय दावों एवं मान्य किये गये प्रतिदायों की संख्या एवं राशियों का विवरण तालिका 3.4 में वर्णित है:

तालिका 3.4: प्रतिदाय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	प्राप्त दावों		मान्य किये गये प्रतिदाय दावों		प्राप्त दावों के विरुद्ध मान्य किये गये प्रतिदाय प्रकरणों का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2012–13	65,719	7,660	87.34	1,183	36.70	15.44
2013–14	75,076	7,106	109.00	2,813	85.65	39.59
2014–15	86,966	5,555	137.56	3,056	131.35	55.01
2015–16	87,915	7,542	153.23	2,995	110.29	39.71
2016–17	1,07,047	5,175	136.85	2,384	74.24	46.07

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

ऊपर तालिका से स्पष्ट है कि मान्य किये गये प्रतिदाय प्रकरणों एवं राशियों में लौकिक प्रवृत्ति नहीं है। साथ में यह भी देखा जा सकता है कि प्राप्त दावों के विरुद्ध मान्य किये गये प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या का प्रतिशत 15.44 से 55.01 प्रतिशत के मध्य रहा। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा कम प्रतिदायों के प्रकरणों का निराकरण किया है।

लेखापरीक्षा द्वारा स्व-कर निर्धारण प्रकरणों एवं कर निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) द्वारा पारित निर्धारण आदेशों से देखा गया कि व्यवसायियों द्वारा समस्त दावाकृत प्रतिदाय, आगत कर रिबेट⁶ के अग्रणित से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.8 प्रतिदाय प्रकरणों के भुगतान में अत्यधिक विलंब

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 यह प्रावधानित करता है कि प्रतिदाय के आदेश पारित दिनांक से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा विभाग व्यवसायियों को छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु भागी होगा।

11 नमूना जांच कर निर्धारण प्राधिकारियों में संधारित प्रतिदाय पंजी का लेखापरीक्षा द्वारा जांच किये जाने पर देखा गया कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के मध्य 2,953 प्रकरणों में व्यवसायियों को, प्रतिदाय मान्य किये गये। 2,953 प्रकरणों में से 1,039 प्रकरणों (35.18 प्रतिशत) में प्रतिदाय का भुगतान आदेश पारित करने के 60 दिनों के बाद के दिनांक से एक से लेकर 2,234 दिनों तक विलंब से किया गया। 1,039 प्रकरणों में से 295 प्रकरणों (28.39 प्रतिशत) में विलंब देय तिथि से एक वर्ष से अधिक था। प्रतिदाय भुगतान में विलंब के कारण ₹ 93.91 लाख का ब्याज व्यवसायियों को विभाग द्वारा देय था; जिसका भुगतान नहीं किया गया। विवरण तालिका 3.5 में वर्णित है:

⁶ मुख्यतः छूट प्राप्त उद्योगों को विक्रय किये जाने एवं अंतर्राजीय विक्रय के कारण जहां कच्चे माल पर प्रदाय आगत कर रिबेट जोकि प्रतिदाय योग्य थे।

तालिका 3.5: प्रतिदाय के भुगतान में विलंब

इकाई का नाम	कुल प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या	प्रतिदाय प्रकरणों की संख्या जहाँ पर विलंब पाया गया	विलंब का विस्तार	शासन द्वारा भुगतान किये जाने वाला ब्याज की राशि (₹ लाख में)
स.आ., कोरबा	185	91	02 दिनों से 673 दिनों	2.27
वा.क.अ.-2, रायपुर	297	245	02 दिनों से 1,480 दिनों	24.97
स.आ.-3, रायपुर	123	3	37 दिनों से 199 दिनों	1.28
वा.क.अ.-2, दुर्ग	310	136	01 दिन से 1,539 दिनों	5.48
स.आ.-1, दुर्ग	191	26	03 दिनों से 259 दिनों	2.60
वा.क.अ.-8, रायपुर	472	87	08 दिनों से 2,194 दिनों	8.42
उ.आ., दुर्ग	99	47	03 दिनों से 430 दिनों	12.28
वा.क.अ.-1, रायगढ़	411	129	01 दिन से 2,234 दिनों	15.82
वा.क.अ.-3, रायपुर	394	143	01 दिन से 1,622 दिनों	8.17
स.आ.-5, रायपुर	14	11	04 दिनों से 885 दिनों	2.49
वा.क.अ.-4, रायपुर	457	121	06 दिनों से 2,132 दिनों	10.13
योग	2,953	1,039		93.91

प्रतिदाय के भुगतानों के विलंब के कारण ना तो प्रतिदाय पंजी में, न ही प्रकरण नस्तियों में अभिलिखित थे।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब का कारण व्यवसायियों के बैंक खातों का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आई.एफ.एस.सी) अनुसार अद्यतन न किये जाने, ई-रिफण्ड पोर्टल में तकनीकी खराबी एवं वार्षिक विवरणी के साथ संबंधित दस्तावेजों का जमा न किये जाने के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक वर्ष से अत्यधिक विलंब होने के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।

अनुशंसा:

विभाग प्रतिदाय प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निराकरण करने हेतु कार्य योजना तैयार करे ताकि ब्याज के भुगतान की बाध्यता से बचा जा सके।

3.4.9 आगत कर रबेट को प्रतिसत्यापित करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप गलत दावों की स्वीकृति और आगत कर रिबेट का अनियमित अग्रणित/वापसी।

व्यवसायी द्वारा फार्म-18, VIII एवं VB (मू.सं.क., प्रवेश कर एवं कें.बि.क. का क्रमशः वार्षिक विवरणी) एवं आडिट रिपोर्ट (फार्म-50 अथवा आयकर आडिट रिपोर्ट) के प्रस्तुतीकरण का विधायिक मकसद यह है कि विक्रय, क्रयों, सकल आवर्त, करयोग्य आवर्त, कमियां आदि की तुलना/विक्रय का सत्यापन किया जा सके। कर निर्धारण के समय निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तुलना/मिलान करते हुए कर का सही आरोपण एवं संग्रहण कर सके ताकि प्रतिदाय की स्वीकृति में कोई त्रुटि न हो।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आदेशित (नवम्बर 2013) किया गया कि सभी व्यवसायियों को अनिवार्यतः क्रय/विक्रय का विवरण (₹ एक लाख से अधिक) प्रस्तुत किया जाना होगा ताकि उनके द्वारा दावा किये गये आ.क.रि. की सत्यता का आपसी मिलान किया जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक कर वृत्तों के स्व-कर निर्धारण/प्रतिदाय से संबंधित अभिलेखों का आपसी मिलान करने पर पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आ.क.रि. दावों का संलग्न अनुलग्नकों से मिलान करने में विफल होने के कारण दावों का गलत मान्य हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) आगत कर रिबेट ₹ 4.19 करोड़ का त्रुटिपूर्ण अग्रणित होना

वा.क.अ.-2, दुर्ग के अवधि 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के स्व-कर निर्धारणों/प्रतिदायों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने एक ठेकेदार⁷ द्वारा उपरोक्त अवधियों के आ.क.रि. दावों की सत्यता परीक्षण हेतु उनके मू.सं.क. एवं प्रवेश कर के वार्षिक विवरणी में दर्शाये गये क्रयों से प्रतिसत्यापित किया। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायी को राशि ₹ 4.19 करोड़ (राशि ₹ 83.83 करोड़ पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के आधार पर गणना करने पर) का अधिक आ.क.रि. का अनियमित मान्य किया गया, जिसका विवरण तालिका 3.6 में वर्णित है।

तालिका 3.6: आगत कर रिबेट एवं क्रयों की घोषणा

वर्ष	फार्म-18 ⁸ अनुसार आ.क.रि.		फार्म-18 अनुसार कुल क्रय मूल्य (आ.क.रि. के आधार पर गणना)	फार्म-VIII ⁹ अनुसार कुल क्रय मूल्य	क्रय मूल्यों में अंतर
	5 % माल	14 % माल			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011–12	78.02	39.01	1,839.07	195.05	1,644.02
2012–13	226.94	157.48	5,663.63	384.42	5,279.21
2013–14	69.27	34.63	1,632.83	173.18	1,459.65
		योग			8,382.88

व्यवसायी द्वारा तीनों वर्षों के वार्षिक विवरणी के साथ अनिवार्य क्रय/विक्रय अनुलग्नकों एवं आ.क.रि. के समर्थन में क्रय के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं करने के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवसायी को प्रत्येक वर्ष शेष (बचत) आ.क.रि. के अग्रणित करने की अनुमति दी गयी। यह कर निर्धारण प्राधिकारी की ओर से घोर लापरवाही दर्शाता है।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग ने व्यक्त किया कि प्रकरण छ.ग.मू.सं.क अधिनियम, 2005 के धारा 22(1) के अंतर्गत खोला गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

(ii) कर ₹ 3.24 करोड़ का अवरोपण होने से ₹ 2.76 करोड़ का गलत प्रतिदाय

(क) स.आ.-3, रायपुर के कर निर्धारण/प्रतिदाय अभिलेखों के जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि एक व्यवसायी¹⁰ ने ₹ 20.22 करोड़ का चावल (करमुक्त) एवं ₹ 6.94 करोड़ का ब्रान, पीली मटर दाल, चावल (करमुक्त) बिक्री क्रमशः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में दर्शाया। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र से उसका व्यवसाय गतिविधि की जाँच करने पर पता चला कि व्यवसायी का मशीन, अर्द्ध-मशीन, अमशीन स्टील, कास्ट आयरन एवं अन्य स्टील कास्टिंग अयस्क के निर्माण

⁷ मेसर्स न्यू लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी

⁸ मूल्य संवर्धित कर का वार्षिक विवरणी

⁹ प्रवेश कर का वार्षिक विवरणी

¹⁰ मेसर्स शिवालिक पावर एण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड

के अलावा कोई अन्य विक्रय गतिविधि नहीं था। आगे व्यवसायी के वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के आयकर आडिट रिपोर्ट में व्यापारिक माल के आवर्त्त में निरंक दिखाया था। अतः व्यवसायी द्वारा करमुक्त माल की बिक्री में करयोग्य वस्तुओं का व्यपवर्तन कर शामिल किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना में कर निर्धारण प्राधिकारी ने शुद्ध कर मुक्त माल के विरुद्ध ₹ 1.36 करोड़ (₹ 27.16 करोड़ का पाँच प्रतिशत की दर से) मू.सं.क. का अवरोपण की अनुमति और अतिरिक्त आ.क.रि. के विरुद्ध ₹ 1.32 करोड़ का गलत प्रतिदाय किया।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग ने व्यक्त किया कि प्रकरण छ.ग.मू.सं.क अधिनियम, 2005 के धारा 22(1) के अंतर्गत खोला गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

(ख) लेखापरीक्षा में आवर्त्त का गलत गणना का विवरण तालिका 3.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.7: आवर्त्त का गलत निर्धारण

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाइ का नाम	कर निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह एवं वर्ष)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गणना की गई सकल आवर्त्त	आयकर आडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित सकल आवर्त्त	आवर्त्त का अंतर	आरोपणीय / आरोपित कर का दर	अवरोपण / अनारोपण	प्रतिदाय
1	स.आ.-3, रायपुर	2011–12 (मार्च 2016)	9,097.39	12,848.59	3,751.20	5 / 0	187.56	144.00

एक व्यवसायी विद्युत ऊर्जा एवं स्टील इंसर्ट्स के निर्माण एवं विक्रय का कार्य करते थे, ने वर्ष 2011–12 में ₹ 37.51 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्ति का विक्रय किया। पांच प्रतिशत दर से विक्रित स्थायी सम्पत्ति को सकल आवर्त्त में सम्मिलित करने में कर निर्धारण प्राधिकारी विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ (₹ 37.51 करोड़ का पांच प्रतिशत) के कर का अवरोपण हुआ। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसे अधिक कर जमा मानते हुए व्यवसायी को ₹ 1.44 करोड़ का प्रतिदाय प्रदान किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन (जनवरी 2018) में विभाग ने व्यक्त किया कि प्रकरण को पुनः खोला गया है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

अनुशंसा:

विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिसमें मू.सं.क., प्रवेश कर एवं अन्य विवरणियों को आगत कर रिबेट से मिलान किया जाना अनिवार्य हो एवं उन कर निर्धारण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें जो आवश्यक जांच / परोक्षण करने में विफल रहें हो।

3.4.10 संकर्म संविदा के आवर्त्त का गलत निर्धारण

विभाग द्वारा संकर्म संविदा व्यवसायियों के करयोग्य आवर्त्त गणना के संबंध में जारी परिपत्र (सितम्बर 2012) का कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पालन न किये जाने से ₹ 86.77 लाख का गलत प्रतिदाय।

शासन द्वारा निर्देशित (सितम्बर 2012) किया गया कि संकर्म संविदा के मामलों में करयोग्य आवर्त्त की गणना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय¹¹ के अनुसार श्रम एवं सेवाओं से संबंधित व्ययों को घटा कर किया जायेगा।

उ.आ., दुर्ग के निर्धारण/प्रतिदाय अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक संकर्म संविदा व्यवसायी के वर्ष 2009–10 का कर

¹¹ मेसर्स गैनन डंकरली एण्ड कंपनी विरुद्ध राजस्थान सरकार (1993)

निर्धारण करते हुए (फरवरी 2014) ₹ 25.98 करोड़ का करयोग्य आवर्त्त गणना कर ₹ 1.53 करोड़ कर का आरोपण किया गया। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर एवं स्त्रोत पर कर कटौती का समायोजन करते हुए ₹ 1.49 करोड़ का आगत कर रिबेट को अग्रणित किया गया। जबकि, कर निर्धारण प्राधिकारी उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार करयोग्य आवर्त्त करने में असफल हुआ। कार्य को सबलेट करना, श्रमिकों पर खर्च, मशीन पर किये गये व्यय आदि खर्च को घटा कर लेखापरीक्षा द्वारा करयोग्य आवर्त्त ₹ 41.90 करोड़¹² संगणित किया जिस पर कर ₹ 2.40 करोड़¹³ आरोपणीय था। परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 86.77 लाख का अवरोपण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि व्यवसायी ने 2010–11 में पूर्व वर्ष के अग्रणित आगत कर रिबेट पर ₹ 95.00 लाख का प्रतिदाय भी प्राप्त किया। अगर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए अनियमितता को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा देखा जाता तो ₹ 95.00 लाख की प्रतिदाय की राशि घटकर ₹ 8.23 लाख रह जाती। परिणामस्वरूप ₹ 86.77 लाख का आ.क.रि. अधिक मान्य किया गया।

लेखापरीक्षा आक्षेपों के जवाब में विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि प्रकरण छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 22(1) के अंतर्गत खोला गया है एवं राशि ₹ 86.77 लाख की मांग जारी (मार्च 2018) की गयी है। वसूली के संबंध में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2018)।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

मूल्य संवर्धित कर

3.5 मालों का गलत वर्गीकरण

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मू.सं.क. के सही दर को अनुप्रयोग न किये जाने से कर ₹ 4.64 करोड़ का अवरोपण।

लेखापरीक्षा द्वारा स.आ., राजनांदगांव एवं तीन वृत्त कार्यालयों¹⁴ के अभिलेखों की नमूना जाँच किये जाने पर देखा गया कि चार व्यवसायियों के अवधि 2011–12 एवं 2013–14 के मध्य सात प्रकरणों (चार स्व कर निर्धारित एवं तीन निर्धारित) का कर निर्धारण नवम्बर 2013 एवं अगस्त 2016 के मध्य व्यवसायियों ने अवशिष्ट माल जो कि 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य था पर पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया। निवर्तित प्रकरणों में भी मालों का गलत वर्गीकरण को पकड़ने में कर निर्धारण प्राधिकारी

¹² सकल प्राप्तियाँ (₹ 113.44 करोड़) – श्रम एवं सेवाओं पर खर्च एवं लाभ (₹ 71.54 करोड़) = करयोग्य आवर्त्त (₹ 41.90 करोड़)

¹³

विक्रय मूल्य (कुल विक्रय को क्रय के अनुपात में भाग देने पर)	कर की दर	कर की राशि (लाख में)
524.79	12.5 %	58.31
322.71	14 %	39.63
2,766.95	4 %	106.42
151.92	5 %	7.23
192.36	करमुक्त	निरंक
231.40 (व्यापारिक माल)	12.5 %	28.42
4,190.13		240.01

¹⁴ वा.क.अ., रायपुर–1; रायपुर–5 एवं रायपुर–9

असफल रहे एवं पाँच प्रतिशत प्रयुक्त किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेजों (क्रय/विक्रय सूची) को प्रतिसत्यापन में पाया कि अवशिष्ट माल (सरफेस माऊन्टेड वाटर पम्प, फैब्रिकेटड/स्ट्रक्चरल आयटम, इलेक्ट्रीक पैनल एवं मैटालाईज़ेड फिल्म) 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग मूसंक. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर रहा था। यद्यपि इस प्रणाली में संहिताबद्ध मालों एवं व्यवसायियों द्वारा मालों के साथ कर की दर इंद्राज करने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण व्यवसायियों द्वारा वस्तुओं/मालों के वर्गीकरण करने में त्रुटि एवं करारोपण प्राधिकारियों द्वारा वर्षों तक पकड़ने में असफल रहने से कर का कम आरोपण एवं भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (मई 2017) किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2017) में कहा कि पांच प्रकरणों में कर अंतर की राशि ₹ 1.26 करोड़ की मांग जारी कर दी गई है एवं दो प्रकरणों को खोला जा रहा है। वसूली की कार्यवाही के संबंध में विभाग से उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2018)।

अनुशंसा:

विभाग अवशिष्ट मालों पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सही दर से करारोपण में असफल होने को सतर्क दृष्टिकोण से जाँच कर उचित कार्यवाही करे।

3.6 कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.02 करोड़ का आरोपण न किया जाना।

लेखापरीक्षा द्वारा दो इकाईयों¹⁵ के कर निर्धारण प्रकरणों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.), बिलासपुर एवं उत्तर सरगुजा द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के वनोत्पाद विक्रय पर मूसंक. की राशि क्रमशः ₹ 1.43 करोड़ एवं ₹ 97.18 लाख भुगतान न किये जाने से कर की राशि ₹ 2.41 करोड़ की मांग (दिसम्बर 2015 एवं मई 2016) जारी की गयी, परन्तु विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 1.02 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग मूसंक. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर रहा था। प्रणाली में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना का प्रावधान नहीं था। ऐसी प्रणाली के अभाव में, विलंब से कर का भुगतान होने पर, ब्याज की गणना, कर निर्धारण प्राधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ा गया था।

उत्तर में विभाग ने कहा (जुलाई 2017) कि ब्याज की राशि की मांग जारी कर दी गई है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

अनुशंसा:

विभाग को विलंबित कर के भुगतान पर ब्याज की गणना, कर निर्धारण प्राधिकारी के स्वविवेक पर न छोड़कर एक सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करना चाहिए।

¹⁵ स.आ.–1 एवं स.आ.–2, संभाग–1, बिलासपुर

अध्याय—४ः

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय—4: अन्य कर प्राप्तियाँ

अनुभाग क: वाहन कर

4.1 कर प्रशासन

वाहन कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- मोटर यान (मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान (के.मो.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1992;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय—समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी किये गये कार्यपालिक आदेश।

परिवहन विभाग, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के संपूर्ण प्रभार में कार्य करता है, जो की नीतियों, निर्देशों एवं प्रशासन के क्रियान्वयन एवं कार्यपालन, कर की दरों में संशोधन के प्रस्तावों आदि हेतु उत्तरदायी है। अधिनस्थों द्वारा प्रकरणों के निर्धारण के संबंध में परिवहन आयुक्त एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी सहायता हेतु एक अपर परिवहन आयुक्त (अ.प.आ.), एक संयुक्त परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त एवं एक उपसंचालक, वित्त (उ.सं.वि.) मुख्यालय में होते हैं। परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.आ.), दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.आ.) एवं 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.आ.) होते हैं। क्षे.प.आ./अ.क्षे.प.आ./जि.प.आ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में 15 चेक पोस्ट एवं एक उप-चेक पोस्ट हैं। क्षे.प.आ. परमिट, लायसेंस का जारी करना, वाहनों का पंजीयन एवं मोटर यान कर का निर्धारण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं। अ.क्षे.प.आ./जि.प.आ. परमिट जारी करने को छोड़कर शेष कार्य क्षे.प.आ. के समान हैं। अ.क्षे.प.आ./जि.प.आ. के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों पर परमिट संबंधित क्षे.प.आ. द्वारा जारी किये जाते हैं।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) में एक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी, एक कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं तीन कनिष्ठ लेखापरीक्षक शामिल हैं। वर्ष 2016–17 में आं.ले.इ. अपने समस्त कार्यबल के साथ कार्य कर रहे थे।

वर्ष 2016–17 के दौरान, आं.ले.इ. ने कुल 27 इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई थी, जिसमें से मात्र 17 इकाईयों का ही लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया गया। विभाग ने उत्तर (सितम्बर 2017) में कहा कि लेखापरीक्षा की गई इकाईयों को आं.ले.इ. के 17 टिप्पणियों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा (जून 2018) गया कि जो चार अधिकारी/कर्मचारी आं.ले.इ. में पदस्थ थे वह विभाग के अन्य कार्य भी कर रहे थे, जो कि समस्त कार्यबल के साथ कार्य करने के बावजूद संपूर्ण इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं किये जाने का कारण हो सकता है।

अनुशंसा:

शासन समर्पित कर्मचारियों की पदस्थापना कर आं.ले.इ. को सुदृढ़ करें।

4.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा द्वारा परिवहन विभाग की कुल 21¹ इकाईयों में से 10² इकाईयों की नमूना जाँच की गयी। विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 829.22 करोड़ अर्जित की, जिसमें से निरीक्षण किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 646.71 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 12.08 करोड़ के अनियमिततायें देखी गयी जिसका विवरण तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वाहनों से कर/शास्ति की अप्राप्ति	5,686	9.62
2.	बैंक/कोषालय में शासकीय राशि का प्रेषण न किया जाना/विलंब से किया जाना	5,081	0.38
3.	कर का अवरोपण	374	1.84
4.	प्रवेश कर का अनारोपण/अवरोपण	12	0.23
5.	अन्य अनियमिततायें ³	925	0.01
योग		12,078	12.08

विभाग द्वारा जून 2018 तक व्यापार कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित 8,728 प्रकरणों में सन्तुष्टि राशि ₹ 11.79 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,165 प्रकरणों में राशि ₹ 3.11 करोड़ कर वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा पूर्व के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की राशि ₹ 1.26 करोड़ की वसूली की गयी। वसूल की गयी राशियों में से राशि ₹ 4.40 लाख वर्ष 2011–12 के पूर्व लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित है।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 14 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 53.56 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 37.80 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 3.97 करोड़ की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2006–07 से 2011–12 के आठ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु 11 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 एवं 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के

¹ परिवहन आयुक्त एवं 20 क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ.

² अ.क्षे.प.अ. दुर्ग एवं राजनांदगांव; जि.प.अ. बलौदाबजार, गरीयाबंद, कोरबा एवं रायगढ़ एवं क्षे.प.अ. बस्तर, बिलासपुर, रायपुर एवं सरगुजा

³ अन्य अनियमितताएँ में सम्मिलित हैं निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों का परिचालन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों का परिचालन एवं परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं होना इत्यादि।

चार कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि वर्ष 2008–09 के एक कंडिका पर कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2003–04 (कंडिका 7.22), 2004–05 (कंडिका 7.26) एवं 2006–07 (कंडिका 3.2) पर अपनी अनुशंसाएँ (46वां प्रतिवेदन, 2009–10, 56वां प्रतिवेदन, 2009–10, 96वां प्रतिवेदन, 2011–12) देते हुए बकाया कर की वसूली जल्द कर एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने को कहा। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि लोक लेखा समिति के 46वां एवं 56वां प्रतिवेदनों में दिये गये अनुशंसा अनुसार इन कंडिकाओं में सन्निहित कर एवं शास्ति की राशि ₹ 5.48 करोड़ के विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 1.08 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली कर ली गयी एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। इसके बावजूद समान प्रेक्षण वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये। यह विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं को दोहराने के लिए रोकथाम हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किये जाने को दर्शाता है।

अनुशंसा:

विभाग को कर की तत्काल वसूली कर, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम समान प्रकरणों में जहां पर पूर्व में ही आश्वासन/निर्देश दिये जा चुके हं की पुनरावृत्ति न हो।

4.5 वाहन स्वामियों से मोटर यान कर की अप्राप्ति

क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा मांग जारी करने में विफलता के कारण 2,263 वाहन स्वामियों से कर की राशि ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 2.31 करोड़ की अप्राप्ति।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 प्रावधानित करता है कि राज्य में रखे एवं उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक माल एवं यात्री वाहनों पर कर⁴ अधिनियम के प्रथम अनुसूची में विर्णविदिष्ट दरों अनुसार किया जायगा। भूगतान न करने की दशा में माल एवं यात्री वाहन स्वामियों द्वारा शास्ति⁵ देय होगी परन्तु असंदर्त कर से अधिक नहीं। अगर वाहन स्वामी कर, शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी मांग जारी करेगा एवं बकाया वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्यवाही करेगा। अगर वाहन स्वामी किसी अवधि के लिए वाहन 'ऑफ-रोड' रखना चाहता है तो वह संबंधित कराधान प्राधिकारी को अवधि की शुरुआत में वाहन के अनुपयोग हेतु सूचित करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा सात परिवहन कार्यालयों⁶ में 1,09,221 पंजीकृत वाहनों में से 8,305 वाहनों की मांग एवं संग्रहण पंजी एवं वाहन डाटाबेस से नमूना जाँच (अप्रैल 2016 एवं दिसम्बर 2016 के मध्य) किये जाने पर पाया गया कि 4,145 वाहनों⁷ द्वारा अवधि मार्च 2015 से नवम्बर 2016 तक के कर की राशि ₹ 5.68 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है। वाहन स्वामियों द्वारा कोई 'ऑफ-रोड' घोषणा प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि संबंधित क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु दोषी

⁴ मासिक कर (यात्री यानों); त्रैमासिक कर (माल यानों) एवं जीवनकाल कर (यात्री यान एवं मालयानों को छोड़कर)

⁵ असंदर्त कर का एक बटा बारवहां (यात्री एवं माल वाहनों) एवं एक बटा सौवां (मैक्सी-कैब) प्रतिमाह एवं उसका भाग

⁶ अ.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं राजनांदगांव; जि.प.अ., कोरबा एवं रायगढ़; क्षे.प.अ., बिलासपुर, रायपुर एवं सरगुजा

⁷ 3,336 (माल यानों) + 809 (यात्री यानों) = 4,145 वाहनों

वाहन स्वामियों को मांग जारी नहीं की गई। परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 5.68 करोड़ (माल यानों: ₹ 3.47 करोड़ एवं यात्री यानों: ₹ 2.21 करोड़) की अप्राप्ति हुई। साथ ही असंदर्भ कर पर शास्ति राशि ₹ 3.20 करोड़ (माल यानों: ₹ 2.04 करोड़ एवं यात्री यानों: ₹ 1.16 करोड़) भी आरोपणीय था।

इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017 एवं जुलाई 2018) में कहा कि 1,882 वाहन स्वामियों से राशि ₹ 3.09 करोड़ (कर: ₹ 2.20 करोड़ एवं शास्ति: ₹ 88.99 लाख) वसूल कर ली गयी है। शेष 2,263 वाहन स्वामियों से बकाया राशि ₹ 5.79 करोड़ वसूली हेतु मांग जारी कर दी गयी है। अतः 2,263 वाहन स्वामियों से ₹ 5.79 करोड़ (कर: ₹ 3.48 करोड़ एवं शास्ति: ₹ 2.31 करोड़) अभी भी बकाया है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान आक्षेप इंगित किये गये थे परन्तु विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी।

अनुशंसा:

विभाग एक ऐसा तंत्र विकसित करे, जिससे वाहन करों की पूर्ण वसूली हो सके तथा कर एवं शास्ति का भुगतान करने से कोई भी चूककर्ता बच न सके।

अनुभाग ख: राज्य उत्पाद

4.6 कर प्रशासन

आबकारी राजस्व मुख्यतः छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत मादक पदार्थों का विनिर्माण, थोक विक्रय, खुदरा विक्रय, परिवहन पर लिये गये उत्पाद शुल्क, लायसेंस फीस आदि सम्प्रिलित है। छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग सिनेमा घरों, विडियो एवं केबल टी व्ही आपरेटरों एवं डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करती है।

सचिव सह आबकारी आयुक्त आकबारी नीति के बनाने एवं क्रियान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। उसकी सहायता हेतु मुख्यालय में दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (अति.आ.आ.), एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, दो उपायुक्त (उ.आ.) एवं पांच सहायक आयुक्त (स.आ.) होते हैं। विभाग में तीन संभाग हैं, प्रत्येक संभाग के मुखिया उपायुक्त होते हैं। प्रत्येक संभाग में एक उड़नदस्ता होता है जो संभाग के जिला कार्यालयों, आसवनीयों एवं बोतल भराईयों का पर्यवेक्षण करते हैं। प्रत्येक 27 जिलों में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु जिला मुख्यालयों/आसवनीयों में सहायक आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (जि.अ.अ.) होते हैं।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होते हैं:

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996;
- छत्तीसगढ़ देशी स्पीरिट नियम, 1995 एवं
- छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002।

4.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

उपसंचालक, वित्त, आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आ.ले.इ.) का मुखिया होता है। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वर्ष 2016–17 में एक उपसंचालक (वित्त), दो सहायक लेखा अधिकारी, एक सहायक ग्रेड-II एवं दो सहायक ग्रेड-III के स्वीकृत पद के विरुद्ध एक उपसंचालक (वित्त), एक सहायक लेखा अधिकारी एवं दो सहायक ग्रेड-III कार्यरत थे। सहायक लेखा अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-II के एक-एक पद सात से अधिक वर्ष से रिक्त थे।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे यह देखा गया कि आ.ले.इ. द्वारा वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। वर्ष 2016–17 में 12 इकाईयों की लेखापरीक्षा योजना के विरुद्ध आ.ले.इ. ने आठ इकाईयों में लेखापरीक्षा कार्य का संपादन किया।

विभाग द्वारा व्यक्त (जून 2018) किया गया कि रिक्त पदों को भरने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त को लिखा गया था परन्तु पद रिक्त है। विभाग द्वारा आगे यह व्यक्त किया गया कि कर्मचारियों की अनुपलब्धता एवं उपसंचालक, वित्त के दोहरे प्रभार होने के चलते सभी आयोजित इकाईयों का लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा आगे व्यक्त (जून 2018) किया गया कि मात्र एक इकाई से पालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं शेष सात इकाईयों को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये हैं।

अनुशंसा:

राज्य शासन को आ.ले.इ. में रिक्त पदों को भरा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों का प्रभावशोल पालन किया जाना चाहिए।

4.8 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से संबंधित 27 इकाईयों⁸ में से 17 इकाईयों⁹ का नमूना जाँच किया गया। वर्ष 2015–16 में विभाग ने कुल ₹ 3,367.12 करोड़¹⁰ का राजस्व अर्जित किया, जिसमें से लेखापरीक्षा किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 2,782.91 करोड़¹¹ का संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 19,569 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 45.06 करोड़ की अनियमिततायें देखी गयी, जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत तालिका 4.2 में वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 4.2: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं लायसेंस फीस का अनारोपण/अवरोपण एवं हानि	104	4.42
2.	मद्यभण्डागारों में स्पिरिट के न्यूनतम भण्डार रखने में असफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	51	2.83
3.	अत्यधिक हानि पर आबकारी शुल्क का	12	0.20

⁸ एक आबकारी आयुक्त; छ: स.आ. एवं 20 जि.अ.अ.

⁹ स.आ., बिलासपुर, दुर्ग, जांजगरी-चांपा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं जि.अ.अ., बालोद, बस्तर, दंतेवाडा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद एवं सरगुजा।

¹⁰ राज्य उत्पाद (₹ 3,338.40 करोड़) एवं मनोरंजन कर (₹ 28.72 करोड़)

¹¹ ₹ 2,754.28 करोड़ (राज्य उत्पाद) एवं ₹ 28.63 करोड़ (मनोरंजन कर)

	अनारोपण/अवसूली		
4.	अन्य अनियमिततायें ¹²	19,402	37.61
	योग	19,569	45.06

विभाग द्वारा 570 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 16.03 करोड़ को स्वीकारते (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2017 के मध्य) हुए, 22 प्रकरणों में राशि ₹ 29.64 लाख की वसूली की गई (जून 2018)।

प्रारूप कंडिका के जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा 12 अनुज्ञप्तिधारी से लायसेंस फीस एवं उत्पाद शुल्क को विलंब से जमा किये जाने पर शास्ति राशि ₹ 23.35 लाख की वसूली की गई।

वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा पूर्व के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 44.09 लाख की वसूली की। सभी वसूल की गई राशि वर्ष 2011–12 के पूर्व लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

4.9 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा राशि ₹ 270.69 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 85.46 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 0.79 लाख की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा सात¹³ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु नौ कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के दो कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि वर्ष 2007–08 के कंडिका 3.2.7 पर समिति द्वारा अनाज से शीरा तैयार करने के मानक प्रधान महालेखाकार से सलाह कर तय करने हेतु दिये गये अनुशंसा (8वां प्रतिवेदन, 2014–15) पर कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुई है।

अनुशंसा:

विभाग सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का त्वरित पालन हो।

4.10 बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा राशि का बकाया राशि से अनियमित समायोजन

छ: अनुज्ञप्तिधारी जिनके अनुज्ञप्ति निरस्त किये गये एवं चार अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने दुकानों के संचालन अवधियों के लायसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया, विभाग द्वारा उनका अभ्यर्पण का आवेदन स्वीकार करते हुए बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा की राशि का राजसात किये जाने के बजाय उनकी बैंक गारंटी राशि ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा राशि ₹ 2.13 करोड़ का समायोजन बकाया राशि ₹ 27.73 करोड़ से करते हुए ₹ 22.56 की मांग जारी की।

¹² अन्य अनियमितताएँ में सम्मिलित है 'डीटीएच आपरेटरों द्वारा सबस्क्राइबर रेजीस्ट्रेशन कार्ड जारी न किया जाना', 'राजस्व का अवरुद्ध', आदि

¹³ वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 प्रावधानित करती है कि बैंक गारंटी¹⁴ एवं प्रतिभूति जमा¹⁵ की राशि अनुज्ञाप्तिधारी जमा करे। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के धारा 33 के अनुसार मंजूर की गई अनुज्ञाप्ति का कोई भी धारक, अनुज्ञाप्ति का अभ्यर्पण करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना की, जो उसके द्वारा कलेक्टर को दी गई है, अवधि समाप्त हो जाने पर और ऐसी शेष अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा अभ्यर्पण न किये जाने की दशा में चालू रहती, अनुज्ञाप्ति के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञाप्ति अभ्यर्पित करेगा। अनुज्ञाप्ति निरस्त होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 31 एवं नियम 23 के तहत क्रमशः अनुज्ञाप्ति निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूतियों को राजसात करने की कार्यवाही करेगा। अनुज्ञाप्तिधारी लाईसेंस के निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकार या प्रतिभूति जमा एवं बैंक गारंटी की वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा। नियम 21 यह कहता है कि अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अंतिम भुगतान किये जाने के पश्चात् ही माह मार्च की देय मासिक अंशिका के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा दो कार्यालयों¹⁶ के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूहों के व्यवस्थापन से संबंधित 76 दुकान समूहों के अभिलेखों के जाँच किये जाने पर पाया गया कि चार¹⁷ अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा लायसेंस के अभ्यर्पण हेतु आवेदन किया (जून 2015 एवं जुलाई 2015 के मध्य), परन्तु अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा शेष अवधि के लिए लायसेंस फीस (₹ 13.32 करोड़) एवं आबकारी शुल्क (₹ 7.13 करोड़) की राशि जमा नहीं की गई और ना ही दुकानों के संचालन अवधि के देय राशि का भुगतान किया गया। उसी प्रकार छः¹⁸ अनुज्ञाप्तिधारियों के लायसेंस विभाग द्वारा लायसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की राशि ₹ 7.28 करोड़ का भुगतान न किये जाने के कारण निरस्त (फरवरी 2015 एवं अक्टुबर 2015 के मध्य) किया गया। विभाग द्वारा नियम 23 के अनुसार बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति राशि का राजसात करने के बजाय बकाया राशि ₹ 27.73 करोड़ का बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 5.17 करोड़¹⁹ के साथ समायोजन कर राशि ₹ 22.56 करोड़ की मांग जारी की गयी।

विभाग का उत्तर (नवम्बर 2017) लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबोधित नहीं करता है।

¹⁴ न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय लायसेंस फीस का एक बटा बारवहां भाग के समतुल्य राशि

¹⁵ न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय आबकारी शुल्क का एक बटा बारवहां भाग के समतुल्य राशि

¹⁶ स.आ., बिलासपुर एवं स.आ., जांजगीर-चांपा

¹⁷ दुकानों का समूह— बरपाली, चंद्रपुर, कोसमंदा एवं तरौद (स.आ., जांजगीर-चांपा)

¹⁸ दुकानों का समूह— बम्हनीडीह (स.आ., जांजगीर-चांपा); चुचुहियापारा, गनियारी, जूना बिलासपुर, लिंगियाडीह एवं व्यापार विहार (स.आ., बिलासपुर)

¹⁹ बैंक गारंटी: ₹ 3.04 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा: ₹ 2.13 करोड

अध्याय—५ः

वानिकी तथा वन्य प्राणी

अध्याय 5: वानिकी तथा वन्य प्राणी

5.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वन के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) वन विभाग का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय में 12 अपर प्र.मु.व.सं. (अ.प्र.मु.व.सं.) एवं छ: मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) होते हैं। राज्य में वन क्षेत्र छ: वन वृत्तों में विभाजित है एवं प्रत्येक वृत्त का मुखिया मु.व.सं. होता है। इन वृत्तों को आगे वनमंडलों में बांटा गया है, जिसके प्रशासन का कार्य वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.) करते हैं, जिनकी सहायता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में उप वनमण्डलाधिकारी (उ.व.म.अ.) एवं परिक्षेत्राधिकारी (प.अ.) होते हैं।

विभाग निम्न अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होता है:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम¹;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम²;
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता;
- वनमंडलों की कार्य आयोजना; एवं
- शासन/विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देश/आदेश

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 में विभाग के कुल 60 में से 19³ कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की। वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा किया गया व्यय एवं संग्रहीत राजस्व क्रमशः ₹ 1,105.23 करोड़ एवं ₹ 409.75 करोड़ था। लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा किया गया व्यय ₹ 455.30 करोड़ एवं संग्रहीत राजस्व ₹ 246.89 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने अनियमितताओं के 1,329 प्रकरणों जिसमें ₹ 116.22 करोड़ सन्निहित था, को इंगित किया, जो तालिका 5.1 में वर्णित है:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
क. व्यय			
1.	अनियमित व्यय	183	40.90
2.	परिहार्य व्यय	31	10.61
3.	अलाभकारी व्यय	152	19.27
4.	अधिक व्यय	72	11.96
5.	अन्य अनियमितताएँ	128	10.40
योग		566	93.14

¹ छत्तीसगढ़ संरक्षित वन नियम, 1960; छत्तीसगढ़ इमारती लकड़ी तथा अन्य गौण उपज दर निर्धारण (विस्तारण) नियम, 1974; आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977; छत्तीसगढ़ चराई नियम, 1986 एवं छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001

² वन (संरक्षण) नियम, 2003

³ व.म.अ., बलौदा बाजार, बलरामपुर, भानुप्रतापपुर (पश्चिम); बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, जशपुर; कांकेर; कटघोरा; कवर्धा, खैरागढ़; कोरबा; कोरिया; महासमुंद; मनेन्द्रगढ़; रायगढ़; राजनांदगांव; सूरजपुर एवं सरगुजा

ख. प्राप्तियाँ				
6.	अवरोध मूल्य ⁴ से न्यून मूल्य पर वनोत्पाद की बिक्री से राजस्व की कम प्राप्ति	646	3.35	
7.	वनोत्पाद का मूल्य हास/कमी से राजस्व की अप्राप्ति	55	5.92	
8.	काष्ठ/बांस के कम उत्पादन से राजस्व की हानी	28	1.24	
9.	अन्य अनियमितताएँ	34	12.57	
	योग	763	23.08	

वर्ष के दौरान विभाग ने 217 प्रकरण जिसमें राशि ₹ 19.80 करोड़ सन्निहित है, को स्वीकार किया गया। शेष प्रकरणों का विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षण आपत्तियों में से तीन प्रकरणों से संबंधित राशि ₹ 2.22 लाख की वसूली की। वसूल की गयी राशि में से ₹ 45,000 वर्ष 2011–12 से पूर्व के वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित है।

5.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा ने 39 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 306.90 करोड़ के विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया जिसमें विभाग ने राशि ₹ 85.44 करोड़ के आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ₹ 18.45 करोड़ की वसूली की।

लोक लेखा समिति ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2002–12) के 22 कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयनित किया और तीन कंडिकाओं (2004–06) पर अपनी अनुशंसा दी। तथापि, केवल एक कंडिका पर कार्यवाही टीप प्राप्त हुआ।

5.4 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

दो वनमंडलाधिकारियों (व.म.अ.) ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप भारत सरकार से अनुमति के बिना छ: नए वाटर बाऊन्ड मैकेडम (डब्लू.बी.एम.) सड़कों के निर्माण कार्य पर ₹ 2.33 करोड़ का व्यय किया।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी (अप्रैल 2005) मार्गदर्शिका विहित करती है कि वन क्षेत्र में 1980 से पूर्व निर्मित सड़क का उन्नयन 'कच्चा⁵ से पक्का⁶' में किया जाना अनुमत्य है। जबकि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार, सड़क का चौड़ीकरण और नए वन क्षेत्र का खंडन केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

मु.व.सं., बिलासपुर एवं सरगुजा ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान वन मार्ग को डब्लू.बी.एम सड़क में उन्नयन हेतु राशि ₹ 3.42 करोड़ की स्वीकृति (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रदान की। दो⁷ व.म.अ. के निर्माण कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की नमूना जाँच (अप्रैल 2016 से जून 2016) में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वनमंडल ने 37 कि.मी. लम्बाई में नौ वन मार्ग का उन्नयन डब्लू.बी.एम. में

⁴ अवरोध मूल्य प्रत्येक काष्ठ प्रचय का वह आरक्षित मूल्य है जिससे कम मूल्य पर प्रचय को प्रथम नीलाम में विक्रित नहीं किया जा सकता।

⁵ 'अच्छी मौसमी सड़क' जो कि 'समस्त मौसमी सड़क' के विपरीत केवल अच्छे मौसम में उपयोग की जा सके।

⁶ 'समस्त मौसमी सड़क' (डब्लू.बी.एम., सी.सी.बी.एम.) जो कि समस्त मौसमों में उपयोग की जा सके।

⁷ कोरिया एवं मरवाही

करते हुए राशि ₹ 3.42 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, वनमंडलों की कार्य आयोजना⁸ के जांच में पाया गया कि नौ वनमार्ग जिनका उन्नयन किया गया उसमें से छः वनमार्ग जिसकी लम्बाई 25 कि.मी.⁹ थी का उल्लेख कार्य आयोजनाओं में नहीं किया गया था। चूंकि ये वनमार्ग कार्य आयोजनाओं में वर्णित नहीं थे इसलिए इसके ऊपर किया गया व्यय राशि ₹ 2.33 करोड़¹⁰ से नवीन डब्लू.बी.एम. रोड़ का निर्माण हुआ न कि पूर्व से स्थापित सड़क का उन्नयन। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार से आवश्यक अनुमति लिये बगैर वन क्षेत्र का खंडन कर नये वनमार्गों का निर्माण किया गया।

हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए व.म.अ. मरवाही एवं कोरिया (क्रमशः अप्रैल 2016 एवं जून 2016) ने लेख किया कि सड़क का निर्माण स्थानीय प्रतिनिधियों/ग्रामीणों की मांग पर किया गया।

प्रकरण को शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2017)। विभाग/शासन का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2018)।

5.5 असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण पर अधिक एवं परिहार्य व्यय

असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण के लिए विभागीय वृक्षारोपणों के मानकों का कैम्पा के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु निर्धारित मानकों से उच्चतर दरों पर निर्धारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत असिंचित मिश्रित पौधारोपण के अंतर्गत 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर में रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी कार्य¹¹ के लिए वर्ष 2014–15 में ₹ 52,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित था। कार्य आयोजना में बांस रोपण एवं अन्य प्रजातियों के लिए गढ़ों का माप क्रमशः 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी एवं 30 सेमी x 30 सेमी x 30 सेमी प्रावधानित है।

चार¹² वनमण्डलों के आबंटन नस्तियों एवं रोपण संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2016 एवं अगस्त 2016 के मध्य) में देखा गया कि विभागीय मद में 14.25 लाख मिश्रित प्रजाति पौधों के रोपण¹³ हेतु 1,295.192 हेक्टेयर¹⁴ में क्षेत्र तैयारी (2014–15) किया जाकर राशि ₹ 9.43 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, लेखापरीक्षा ने विभागीय मद के अंतर्गत असिंचित मिश्रित पौधा रोपण के मानक का परीक्षण किया एवं पाया कि विभाग ने वर्ष 2014–15 के लिए 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी के लिए ₹ 72,800 प्रति हेक्टेयर का मानक निर्धारित किया है।

कैम्पा के अंतर्गत क्षेत्र तैयारी कार्य¹⁵ से तुलना करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय मानक में 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण के लिए गढ़ों का माप 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विहित था जबकि कैम्पा में 30 सेमी x 30 सेमी x 30 सेमी विहित था। विभागीय मानक के अंतर्गत 1,295.192 हेक्टेयर में रोपे जाने वाले 14,24,711 पौधों में से 10,64,668

⁸ कार्य आयोजना, वनमंडलों में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु योजना बनाने का मुख्य दस्तावेज़/अभिलेख है।

⁹ कोरिया— एक सड़क (5 किमी) और मरवाही— पाँच सड़क (20 किमी)

¹⁰ कोरिया (₹ 50.53 लाख) और मरवाही (₹ 1.82 करोड़)

¹¹ क्षेत्र तैयारी कार्य के अंतर्गत क्षेत्र सफाई, गढ़ों खुदाई, फॉसिंग आदि कार्य शामिल हैं जोकि रोपण से पहले किए जाते हैं।

¹² बलौदा बाजार, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरबा

¹³ 3,60,043 बांस एवं 10,64,668 अन्य प्रजाति के पौधे

¹⁴ बलौदा बाजार (296.71 हे.); बलरामपुर (634 हे.); जशपुर (260 हे.) एवं कोरबा (104.482 हे.)

¹⁵ विभागीय कार्य एवं कैम्पा मद के अंतर्गत होने वाले रोपण कार्यों में समान प्रकार के वृक्ष/पौधे शामिल हैं।

अन्य प्रजाति के थे जिसके लिए कार्य आयोजना में 30 सेमी x 30 सेमी x 30 सेमी गढ़े का माप निर्धारित था, जबकि शेष 3,60,043 पौधों के लिए गढ़ों का माप 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी था। विभाग ने अन्य प्रजाति के 10,64,668 पौधों के लिए 30 सेमी x 30 सेमी x 30 सेमी माप के गढ़े खोदने के बजाय बड़े आकार के गढ़े खोदे। विभागीय मद में अन्य प्रजाति के लिए बड़े आकार के गढ़े खोदने से मजदूरी व्यय की एवं वर्मी कम्पोस्ट / उर्वरक के खपत में तीन गुना¹⁶ से अधिक की वृद्धि हुई। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2014–15 में विभागीय मद के अंतर्गत असिंचित मिश्रित पौधा रोपण में क्षेत्र तैयारी कार्य के ऊपर राशि ₹ 2.03 करोड़¹⁷ का अधिक व्यय हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, संबंधित व.म.अ. (मई 2016 एवं अगस्त 2016 के मध्य) ने लेख किया कि विभागीय मद से असिंचित मिश्रित पौधा रोपण हेतु मानक उच्च कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए थे एवं कार्य का सम्पादन मानक एवं विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर ही किया गया है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2017)। विभाग का उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2018)।

अनुशंसा:

विभाग को विभिन्न मदों के अंतर्गत एक ही तरह के वानिकी कार्य के लिए मानक निर्धारित करते समय एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.6 भंडार क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाँच वनमंडलों ने खुली निविदा की प्रक्रिया का पालन किए बिना राशि ₹ 3.23 करोड़ की भंडार सामग्री का क्रय किया।

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार, ₹ 5,000 से ₹ 50,000 तक के सामग्री क्रय हेतु सीमित निविदा¹⁸ तथा ₹ 50,000 से ऊपर के सामग्री क्रय हेतु खुली निविदा की पद्धति को अपनाया जाना है। राज्य शासन ने अपने आदेश (जुलाई 2003) में स्पष्ट किया है कि सहकारी उपभोक्ता भंडार/केन्द्रीय भण्डार/राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से सीधे सामग्री क्रय किया जाना अनुमत्य नहीं है और भंडार क्रय नियम का पालन सामग्री क्रय करते समय किया जाना है।

लेखापरीक्षा द्वारा पाँच¹⁹ वनमंडलों में भंडार क्रय नस्तियों तथा प्रमाणकों के नमूना जाँच में देखा गया कि सचिव, वन विभाग ने सभी वनमंडलों को भंडार सामग्री सीधे केन्द्रीय भंडार रायपुर से क्रय करने हेतु निर्देशित किया (सितम्बर 2014)। यह छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत था एवं सचिव वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियम 2002 में छूट देने के लिए अधिकृत अधिकारी नहीं थे।

पाँच वनमंडलों ने वर्ष 2014–15 और 2015–16 में राशि ₹ 3.23 करोड़ के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.), ट्रेकिंग डिवाइस, नीम खल्ली, कीटनाशक इत्यादि सीधे केन्द्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता सहकारी

¹⁶ वृक्षरोपण मानक अनुसार खोदे गये गढ़े का एक चौथाई भाग को खाद्य से भरा जाता है यानि कि राज्य कैम्पा (27,000 घन मी./4= 6,750 घन मी.) के विरुद्ध विभागीय मानकों (91,125 घन मी./4= 22,781.25 घन मी.) प्रति गढ़ा का उपयोग हुआ।

¹⁷ श्रमिक व्यय: ₹ 12.60 प्रति गढ़ा (विभागीय कार्य) – ₹ 6.30 प्रति गढ़ा (कैम्पा) = ₹ 6.30 प्रति गढ़ा एवं वर्मी कम्पोस्ट खर्च: ₹ 18.18 प्रति गढ़ा (विभागीय कार्य) – ₹ 5.45 प्रति गढ़ा (कैम्पा) = ₹ 12.73 प्रति गढ़ा। योग ₹ 19.03 प्रति गढ़ा x 10,64,668 अन्य प्रजाति के पौधे

¹⁸ भंडार सामग्री क्रय हेतु कम से कम तीन सामग्री प्रदाताओं से कोटेशन प्राप्त कर क्रय किया जाना

¹⁹ बलौदा बाजार, धमतरी, कटघोरा, कोरबा एवं कोरिया

समिति संघ से किया। चूँकि प्रत्येक क्रय राशि ₹ 50,000 से अधिक था, अतः प्रत्येक क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2017)। विभाग का उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2018)।


बि.ई. मध्दिट.

रायपुर
दिनांक 26 नवम्बर 2018

(बिजय कुमार मोहन्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 27 नवम्बर 2018


(राजीव महोन्धि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ कंडिका 1.2.3)



DO letter No. RS(Report)/Chapter-I/D- 12.0
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायगढ़
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Principal Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raip

दिनांक
Date : 24.07.2018

बिजय कुमार मोहन्ति
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
BIJAY KUMAR MOHANTY
Principal Accountant General (Audit)

Dear Sir,

Kindly refer to this office letters dated 11.6.2018, 14.6.2018, 18.6.2018 and 11.7.2018 in which information regarding preparation of budget and actual receipts of revenue in which copy of minutes of budget finalised with the departments, reasons for increase/decrease in Budget Estimates/Revised Estimates and Actuals and revision of the budget estimates proposed by the Department by the Finance Department and the reasons for revision for the financial years 2012-13 to 2016-17 was sought.

As per the information provided by various Departments, it was seen that in Excise Department, one post of Assistant Accounts Officer and one post of Assistant Grade II for internal audit are vacant for more than seven years. Similarly, in Registration Department, sanctioned posts of two Assistant Internal Audit Officers are lying vacant and in Forest Department, against the sanctioned strength of five posts of Internal Audit Wing (IAW), two posts are vacant since 2012-13.

These Departments had issued letters to Finance Department to fill the vacancies but the posts have not been filled up yet. The reasons for not filling the posts may please be furnished. Further, Commissioner, Commercial Tax Department and Chief Electrical Inspector informed that no posts are sanctioned for IAW in their Departments.

Kindly give reasons for not sanctioning any posts in Commercial Tax and Energy (Electricity) Departments. This information is to be included in the Comptroller and Auditor General's Audit Report of Revenue Sector for the year 2016-17.

I will be grateful, if you could make arrangements to provide the required information at the earliest for onward submission to CAG.

With Regards,

Yours sincerely,

Shri Amitab Jain,
Principal Secretary,
Finance Department
Government of Chhattisgarh,
Mantralaya,
Naya Raipur.

पोस्ट - मान्दर, जीरो प्लाईंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)
Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)

શાબ્દકોષ

संक्षेप की शब्दावली

संक्षिप्त	पूरा रूप
नि.प्रा.	निर्धारण प्राधिकारी
स.आ.	सहायक आयुक्त
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
ले.स.बै.	लेखापरीक्षा समिति बैठक
स.वा.क.अ.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
स.ख.अ.	सहायक खनिज अधिकारी
अ.प्र.मु.व.सं.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अ.क्षे.प.अ.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
का.टी.	कार्यवाही टीप
ब.अ.	बजट अनुमान
कैम्पा	क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
मु.व.सं	मुख्य वन संरक्षक
वा.क.आ.	वणिज्यिक कर आयुक्त
छ.ग.प्र.क.	छत्तीसगढ़ प्रवेश कर
छ.ग.मो.या.क.अ.	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम
छ.ग.मू.सं.क	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर
सी.आई.एम.एफ.आर.	केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र
सी.एम.एम.आर.	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम
सी.पी.पी.	कैप्टिव पावर प्लॉट
कें.बि.क.	केंद्रीय बिक्री कर
वा.क.वि.	वाणिज्यिक कर विभाग
वा.क.नि.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वा.क.का.	वाणिज्यिक कर कार्यालय
उ.आ.	उपायुक्त
उ.सं.वि	उपसंचालक वित्त
उ.सं.ख.प्र.	उपसंचालक खनिज प्रशासन
व.म.अ.	वनमंडलाधिकारी
सं.भौ.ख.	संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म
जि.ख.अ.	जिला खनिज अधिकारी
जि.प.अ.	जिला परिवहन अधिकारी
प्र.क.	प्रवेश कर
छ.ग.शासन	छत्तीसगढ़ शासन
भा.स.	भारत सरकार

आं.ले.इ.	आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई
आई.बी.एम.	भारतीय खान ब्यूरो
आई.एफ.एस.सी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आ.क.रि.	आगत कर रिबेट
एम.सी.आर.	खनिज रियायत नियम
एम.जी.क्यू.	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
ख.नि.	खनिज निरीक्षक
एम.एम.डी.आर.	खान एवं खनिज विकास एवं नियामक
एम.ओ.यू.	मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेडिंग
एम.आर.डी.	खनिज साधन विभाग
मै.ट.	मैट्रिक टन
एन.एम.ई.टी.	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.मु.व.सं.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पं.फ.	पंजीयन फीस
प.अ.	परिक्षेत्र अधिकारी
आर.ओ.एम.	रन—आफ—माईन
रा.व.प्र.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र
क्षे.प.अ.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
मु.शु.	मुद्रांक शुल्क
उ.व.म.अ.	उपवनमण्डलाधिकारी
प.आ.	परिवहन आयुक्त
टी.डी.एस.	स्त्रोत पर कर कटौती
टी.टी.ओ.	करयोग्य आवृत्त
मू.सं.क.	मूल्य संवर्धित कर
डब्लू.बी.एम.	वाटर बाऊन्ड मैकेडम



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

ईमेल:: agauchhattisgarh@cag.gov.in